खण्ड–2

उत्तराखण्ड मध्यकालिक राजकोषीय नीति–2026

(Uttarakhand Medium Term Fiscal Policy)

एवं

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण

(Information under section 6 (2) of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget management Act, 2005)

(जैसे कि विधानमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किये गये)

(As laid before the Legislative Assembly)

अध्याय–1

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–3 के अनुक्रम में राज्य सरकार को विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रस्तुत करना है। इस मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ त्रिवर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित किये जायेंगे। इस अधिनियम को क्रमिक केन्द्रिय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2011, 2016, 2020 और 2023 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि तक कुछ वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में 15 वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिए एक राजकोषीय समेकन रोड मैप प्रदान किया है। जिसके अनुसार राज्य के उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम में संशोधन किया गया था, राज्य की MTFP नीति का उद्देश्य निम्न विवरण के अनुसार पूर्ति किया जाना हैः–

1– राजस्व घाटा शून्य किया जाना।

2– राजकोषीय घाटे को 2021–22 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत, 2022–23 में 3.5 प्रतिशत और 2023–24 से 2025–26 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर बनाए रखना।

3– वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में कुल देनदारियां क्रमशः 32.6, 33.3, 33.1, 32.8 और 32.5 से अधिक नहीं होगीं।

आर्थिक परिदृश्य

उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान आधार वर्ष 2011–12 को अपनाते हुए अनुमानित किये गये है।

उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना उत्तराखंड, उत्तरी भारत का एक हिमालयी राज्य है जो अपने खूबसूरत परिदृश्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, यह तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक बन गया है, जिसमें विविध क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

तालिका 1—राज्य गठन के पश्चात् राज्य की अर्थव्यवस्था के घटकों में परिवर्तन

अर्थव्यवस्था के घटक	2000—01	2008—09	2011—12	2025—26 अनन्तिम अनुमान
प्राथमिक क्षेत्र	30.99	13.57	14	9.59
द्वितीयक क्षेत्र	18.55	33.88	52.13	39.95
तृतीयक क्षेत्र	50.46	52.55	33.88	50.46

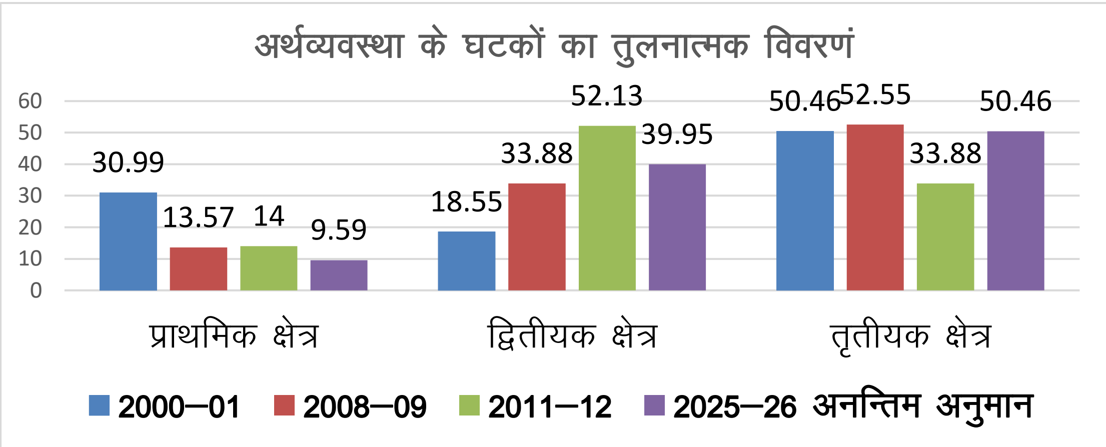

स्त्रोतः— अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् राज्य की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। तालिका—1 को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें वन, कृषि, मत्स्य तथा खनन सम्मिलित है का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 2000—01 में 30.99 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024—25

के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 9.59 प्रतिशत हो गया है। वहीं दूसरी ओर द्वितीयक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण, विघुत गैस एवं जल सम्पूर्ति है के योगदान में काफी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। यह वर्ष 2000–01 में 18.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 39.95 प्रतिशत हो गया है। जबकि सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में कोई अन्तर नहीं आया है। यह वर्ष 2000–01 में 50.46 प्रतिशत था तथा वर्ष 2024–25 में यह 50.46 प्रतिशत अनुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद के घटकों में यह परिवर्तन राज्य की अर्थव्यवस्था में हुए विकास से जुड़ा हुआ है तथा विकास की दिशा को दर्शाता है।

क्षेत्रवार योगदान–

कृषि (जीएसडीपी का 10 प्रतिशत)– प्राथमिक क्षेत्र, हालांकि एक छोटा हिस्सा योगदान देता है, लेकिन आजीविका के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है। प्रमुख फसलों में बासमती चावल, गेहूं, दालें और तिलहन शामिल हैं। बागवानी प्रमुख है, जिसमें सेब, नाशपाती, लीची और आड़ू उल्लेखनीय उपज हैं।

उद्योग (जीएसडीपी का 40 प्रतिशत)– द्वितीयक क्षेत्र उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य में हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई जैसे औद्योगिक केंद्र हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करते हैं।

सेवाएँ (जीएसडीपी का 50 प्रतिशत)– पर्यटन के नेतृत्व में तृतीयक क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक चालक है। धार्मिक पर्यटन (चार धाम), वन्यजीव पर्यटन (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क) और नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन सालाना लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राज्य बैंकिंग, व्यापार और सूचना प्रौद्योगिकी में भी वृद्धि को देखा जा रहा है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)–

उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ने प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है, वर्ष 2001–02 में रू0 15,826 करोड़ से बढ़कर 2025–26 में रू0 381889 करोड़ हो गई है। यह राज्य के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित

करता है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2025—26 के अनुसार रू0 2,73,921 है, जो राष्ट्रीय औसत रू0 219575 से अधिक है। प्रमुख संकेतकों का राष्ट्रीय स्तर से तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है:—

भारत तथा उत्तराखण्ड का तुलनात्मक विवरण

मद	भारत आधार वर्ष (2011—12)			उत्तराखण्ड आधार वर्ष (2011—12)		
	2023—24 RE	2024—25 PE	2025—26 AE	2023—24 RE	2024—25 PE	2025—26 AE
अर्थव्यवस्था का आकार (हजार करोड़ में)	30122.956	33068.145	35713.886	314.973	347.981	381.889
आर्थिक विकास दर (स्थिर भावों पर)	9.2	6.5	7.4	6.05	6.44	7.23
प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	188892	205324	219575	232457	250736	273921

*नोट– MoSPI

प्रति व्यक्ति आय का विवरण:—

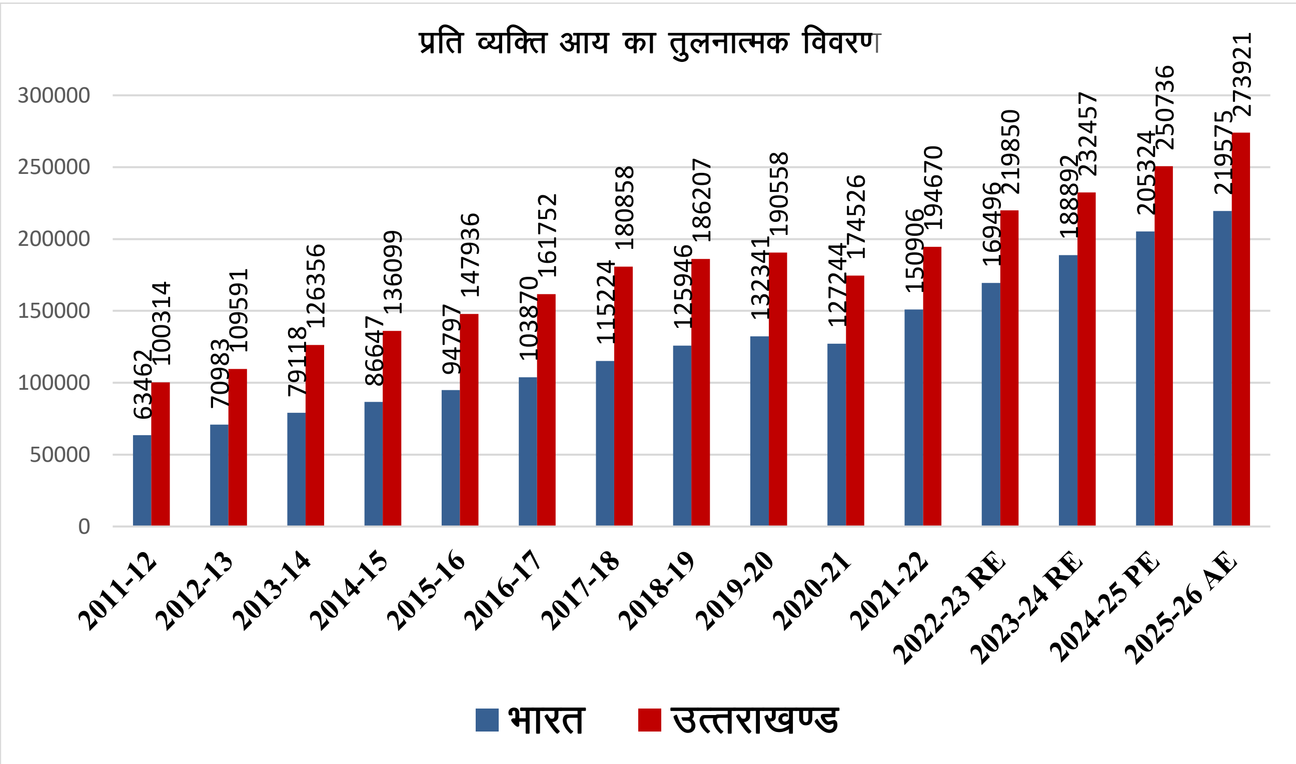

स्त्रोत:— अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

उपरोक्त चार्ट वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2024–25 तक भारत और उत्तराखंड के लिए प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह आंकड़े राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आय के स्तर में वृद्धि के रुझान पर प्रकाश डालता है।

भारत और उत्तराखंड दोनों में सकारात्मक आर्थिक विकास के रुझान को दर्शाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड लगातार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। महामारी के बाद की रिकवरी और अनुमानित भविष्य की वृद्धि देश और राज्य दोनों के लिए आर्थिक लचीलेपन और निरंतर प्रगति का संकेत देती है।

मुख्य आर्थिक चालकः–

पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है, इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग हैं। एकीकृत औद्योगिक संपदाओं के विकास और बागवानी को बढ़ावा देने से आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिला है।

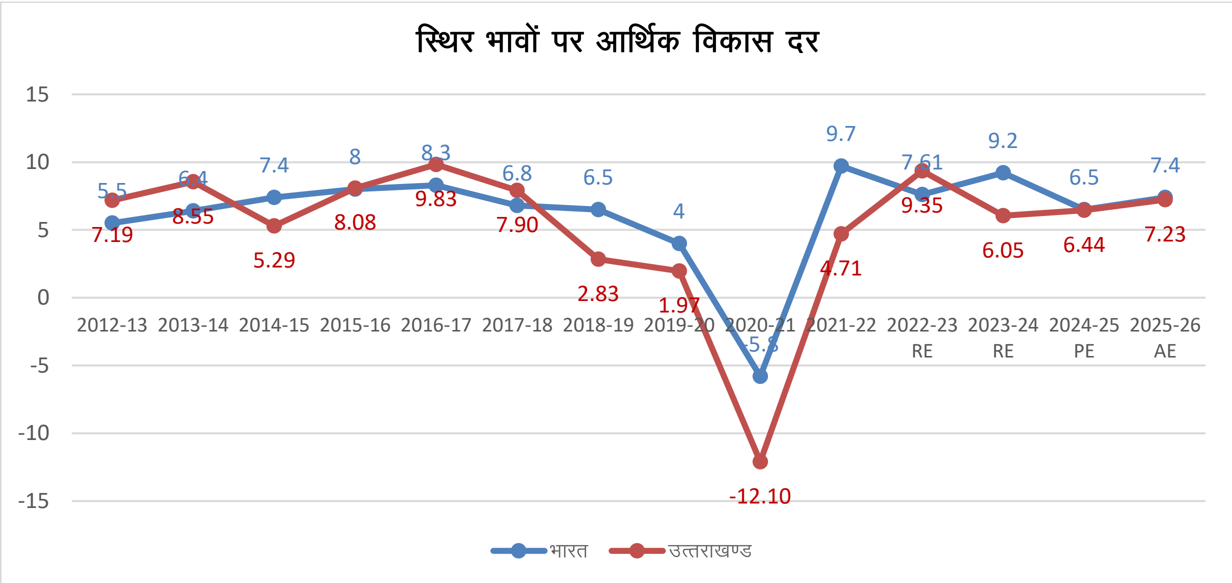

नोटः– वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 के अनुमान अनन्तिम हैं।

स्त्रोतः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

उपरोक्त चार्ट से उत्तराखंड की वास्तविक जी.एस.डी.पी. वृद्धि और राष्ट्रीय वास्तविक जी.डी.पी. से पता चलता है कि उत्तराखंड ने 2018–19 से 2020–21 की अवधि को छोड़कर राष्ट्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।

वास्तव में, 2018–19 में, वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि में गिरावट शुरू हो गई थी, जो 2019–20 में 1.97 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई और फिर 2020–21 के कोविड वर्ष में (–) 12.10 प्रतिशत तक सिकुड़ गई।

चुनौतियाँ:–

प्रगति के बावजूद, राज्य को सीमित रोजगार के अवसरों, भूस्खलन जैसी लगातार प्राकृतिक आपदाओं और दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में पलायन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी पहल:–

उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास, स्वरोजगार योजनाओं और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है। आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सड़क संपर्क और डिजिटल विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है।

निष्कर्ष:–

उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य स्थिर प्रगति को दर्शाता है, जिसमें पर्यटन और औद्योगिक विकास प्रमुख विकास चालक हैं। निरंतर सरकारी समर्थन और बुनियादी ढांचे में वृद्धि के साथ, राज्य भविष्य के विकास के लिए आशाजनक क्षमता रखता है।

वर्ष 2011–12 से 2024–25 की अवधि तक सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा वृद्धि दर परिशिष्ट 1 एवं 8 में दर्शायी गयी है।

राजकोषीय सुधार एवं नीतियुक्त विवरण

राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत ''वैल्यू फॉर मनी'' एवं लोक धन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अनेक गतिविधियां वर्तमान में संचालित है। इसके अन्तर्गत राज्य में विगत वर्ष में विश्व बैंक सहायतित UKPFMS परियोजना से वित्तीय सरोकरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुये राजस्व अभिवृद्धि हेतु सर्वोत्तम गतिविधियों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने

का उपक्रम किया गया है। कतिपय अभिनव गतिविधियों का सांराश निम्नवत है:–

1. कोषागार द्वारा माहवार लेखा ऑनलाईन के माध्यम से आगामी 10 दिनों के अन्तर्गत प्रेषित किया जाना। पेंशनर व कार्मिकों के सेवाभिलेखों को डिजिटाइज कराकर HRMIS में समाहित कराया जाना ताकि सम्बन्धित कार्मिक/पेंशनर अपने अभिलेखों को देखकर, किसी भी विसंगति को ठीक करा सकें।
2. डेट एवं कैश मैनेजमेंट सेल की स्थापना की गई जिससे राज्य का ऋण–प्रबन्धन कारगर ढ़ंग से मॉनिटर किया जाना सम्भव हो सके।
3. वित्तीय सरोकारों में पारदर्शिता के उद्देश्य से अनेक कार्य कराये गये हैं जिनमें सिटीजन बजट, डेट स्टैस्टिकल बुलेटिन, अनुबन्ध का ऑनलाईन प्रकाशन, ऑनलाईन शिकायतों का दर्ज होना एवं उनका ऑनलाईन निस्तारण आदि शामिल है।
4. जोखिम के आधार पर चिन्हित विभागों का ऑनलाईन आडिट कराने हेतु सॉफ्टवेयर को लागू कराना तथा अनेक ऑडिट मैनुअलों का बनाया जाना।
5. सम्पत्ति कर सॉफ्टवेयर को लागू कराना जिससे शहरी नगर निकायों की आमदनी में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। GIS सर्वे द्वारा इसमें और भी वृद्धि होनी सम्भावित है।
6. सतत प्रशिक्षण द्वारा शहरी विभाग, वित्त विभाग, राज्यकर विभाग एवं स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों का क्षमता–विकास सम्भव हो रहा है, जिससे वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को अधिक कारगर ढ़ंग से निभा पायेंगे।
7. आठ नगर निकायों में 'क्रेडिट रेटिंग' का कार्य कराया गया है, जिसके फलस्वरूप वे अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु बाजार से ऋण ले सकने में सक्षम हो सकेगी।
8. 'Budget Execution Report' को प्रकाशित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। जिससे आमजन को मासिक रूप से बजट सम्बन्धी विभिन्न रिर्पोटे प्राप्त हो सकेगी। यह पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में एक नूतन कदम है।

राजस्व अभिवृद्धि हेतु प्रयासः–

1. राज्य कर विभागः–

<u>राज्य कर विभाग में कर सुधारों का विवरण</u>

1. <u>कर अपराधों को सिद्ध करने के लिए विभाग की क्षमता में वृद्धि हेतु फॉरेंसिक लैब की स्थापना</u>

2. जी0एस0टी0 प्रणाली में न्यायालय स्तर पर करापवंचन को सिद्ध किये जाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता के दृष्टिगत डिजिटल उपकरणों की जांच किये जाने तथा डिजिटल साक्ष्यों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों को National Forensic Sciences University (NFSU) गांधीनगर में प्रशिक्षण दिया गया है । कर चोरी का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग करने के क्रम में राज्य कर विभाग द्वारा NFSU की सहायता से फॉरेंसिक लैब की स्थापना किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। फॉरेंसिक लैब के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग के द्वारा मोबाइल फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक, पासवर्ड क्रैकिंग क्षमता आदि जैसे तकनीकी पहलुओं के व्यापक अनुप्रयोग और उन्नत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

3. यह लैब जांच एवं डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी तथा न्यायालय के समक्ष प्रभावकारी अभियोग शुरू करने और दोषियों को दंड दिलाने में सहायक होगी। इस प्रकार गंभीर कर अपराध करने वालों को त्वरित और प्रभावकारी सजा दिलाने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा गंभीर कर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जांच को शीघ्रता से पूरा करने, प्रभावी अभियोजन शुरू करने और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने हेतु विभाग की क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार डिजिटल युग में जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में विभाग की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. <u>राजस्व हित में विभाग द्वारा AI आधारित Revenue Intelligence Solution प्रयुक्त किये जाने का प्रस्ताव</u>

5. जीएसटी में सीजीएसटी के अधिकारियों द्वारा डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जैसे कि NETRA (नेटवर्किंग एक्सप्लोरिंग टूल्स फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन), BIFA (बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स) और ADVAIT (एडवांस एनालिटिक्स इन इंडायरेक्ट टैक्सेशन) का उपयोग जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए किया जा रहा है, जिन पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का संदेह है। इन टूल्स में से राज्य कर अधिकारियों द्वारा मात्र BIFA (बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स) का सीमित प्रयोग किया जा रहा है।

6. विभाग के पास डाटा विश्लेषण हेतु सीमित विकल्प होने के दृष्टिगत राजस्व हित में विभाग द्वारा AI आधारित Revenue Intelligence Solution प्रयुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। कर प्रणाली में पूर्वानुमान, सुधार और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य का प्रयास अनिवार्य रूप से लक्षित

सूचना विकसित किये जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने पर है ताकि राजस्व का क्षरण कम किया जा सके। जीएसटी व्यवस्था में उपलब्ध डाटा अत्यधिक व्यापक है और बड़े पैमाने पर खंडित (fragmented) है। ऐसे डाटा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसका विश्लेषण आवश्यक है जिसके माध्यम से इस डाटा को केंद्रीकृत और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। इसके लिए सर्वप्रथम डाटा विश्लेषण के आधार पर जोखिम कारकों (Risk Factors) का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि उपचारात्मक कार्यवाही (Remedial Action) समयान्तर्गत प्रारम्भ की जा सके।

7. इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डाटा विश्लेषण द्वारा कर विवरणी में विसंगतियों को चिन्हित किया जाना संभव हो पाएगा। इस प्रकार डाटा विश्लेषण में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग न केवल अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक है बल्कि इसके माध्यम से जीएसटी संग्रह में भी लगातार वृद्धि संभव है।
8. इस उद्देश्य से विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि के लिए AI आधारित Revenue Intelligence Solution के प्रयोग का प्रस्ताव किया गया है।
9. <u>IFMS पोर्टल के माध्यम से निरस्त व्यापारियों को भुगतान नहीं किये जाने सम्बन्धी यूटिलिटी</u>
10. IFMS पोर्टल पर एक यूटिलिटी विकसित की गयी है, जिसके माध्यम से ऐसे व्यापारियों, जिनके पंजीयन निरस्त है, को सरकारी कोष से भुगतान अनुमन्य नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यापारियों को भुगतान तभी किया जाएगा, जब उनके द्वारा समस्त देय कर का भुगतान कर दिया गया है और समस्त देय रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं।

<u>आबकारी विभागः—</u>

महत्वपूर्ण Reform जिससे राजस्व में वृद्धि, मदिरा आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ थोक एवं फुटकर व्यवसाय में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी

1—उत्तराखण्ड आबकारी नीति 2025 में महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये है जिससे राज्य उपभोक्ता श्रेणी से अग्रसर होकर अब उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। रु0 400/— के अधिक एक्स डिस्टलरी प्राईज वाली समस्त मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) को राज्य में उत्पादन हेतु अनिवार्य किया गया

है, जिससे मदिरा की बॉटलिंग/उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना हुई है तथा कई उद्योग प्रस्तावित है।

2– विगत तीन वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य में रिकार्ड राजस्व वृद्धि दर्ज की गयी है। विगत वर्ष 2023–24 में 4000 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करते हुए 4038.69 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2024–25 में 4439 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 4362 करोड़ लगभग 98 प्रतिशत तथा वर्ष 2025–26 में 5060 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अधिकतम राजस्व की प्राप्ति सम्भावित है। इस प्रकार फुटकर एवं थोक मदिरा अनुज्ञापनों के नियमों एवं राजस्व दरों–उत्पाद–शुल्क एवं एम0जी0डी0 को पडोसी राज्यों की मदिरा के मूल्य के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रखने हेतु दरों में समन्वय स्थापित किया गया ताकि आबकारी राजस्व संग्रहण में वृद्धि के साथ–साथ पर्यटन उद्योग को यथोचित लाभ मिल सकें।

3– उत्तराखण्ड के नागरिकों मूल/स्थायी निवासी के लिए थोक मदिरा के व्यवसाय में भागीदारी शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए फुटकर मदिरा दुकानों (रिटेल वैण्डस) की तरह अनुज्ञापन दिये जाने के प्राविधान किये गये तथा थोक व्यवसाय में शराब निर्माताओं के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किये जाने के प्राविधान किये गये हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं व्यवसाय का अवसर प्राप्त हुआ है।

4– समुद्र पार आयतित (ओवरसीज) मदिरा की बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए एफ0एल0–2 (ओ) अनुज्ञापन का प्राविधान किया गया, जिससे ओवरसीज मदिरा ब्राण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और साथ–साथ कस्टम ब्राण्डों से सीधे रिटेल की आपूर्ति से सम्भावित राजस्व में रिसाव को समाप्त कर एक कॉमन प्लेटफार्म पर रिटेलर को ओवरसीज ब्राण्डों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे की कुल मदिरा बिक्री में ओवरसीज ब्राण्डस की बिक्री का अंश बढ़ा है।

5– आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 द्वारा पर्वतीय अंचल में वाईनरी की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों जैसे–अंगूर, सेब, माल्टा इत्यादि से राज्य में स्थापित वाईनरी से वाइन के निर्माण/उत्पादन की प्रथम बिक्री आपूर्ति से 15 वर्षों तक एक्साईज ड्यूटी एवं आबकारी विभाग द्वारा टैक्स, ड्यूटी फीस आदि से मुक्त रखने का प्राविधान किया गया है, जिससे लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के जनपद

बागेश्वर एवं चम्पावत में एक–एक वाईनरी की स्थापना इसका उदाहरण है।

6– आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 द्वारा देशी मदिरा राज्य में देशी मदिरा में स्थानीय फलों की गुणवत्ता, स्वाद का समावेश किये जाने का प्राविधान किया गया है तथा प्रदेश में देशी मदिरा की बिक्री टेट्रा पैक में किये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे किसी भी तरह का Adulteration रोका जा सके तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित मदिरा उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

7– पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान किया गया है। जिसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में कम से कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकेगा जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8– मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, **प्रथम आवक प्रथम पावक** के सिद्धांत पर पारदर्शी एवं अधिकतम राजस्व अर्जन की दृष्टि से किया गया।

9– उत्तराखण्ड राज्य में स्थानीय फलों, अनाज आदि पर आधारित माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों की स्थापना की अनुमति दी जा सकेगी। पर्वतीय अंचल के किसानों एवं फल उत्पादकों के फल एवं अनाज की खरीद माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों द्वारा सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO) के साथ–साथ सीधे किसान से की जा सकेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका के संसाधन प्राप्त होंगे। माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

10–राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Track and Trace आधारित किया जायेगा। इसके लिये सी०सी०टी०वी बार कोड स्कैनर, जी०पी०एस० एवं होलोग्राम की व्यवस्था को अधिक सशक्त एवं अनिवार्य किया जायेगा।

स्टॉम्प एवं निबंधन विभागः–

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित नवाचार प्रचालित किये गये हैः–

1– Swabhoomi App के माध्यम से सम्पत्ति की Geo Tagging तथा विभागीय पोर्टल का शहरी विकास, पेयजल व ऊर्जा विभाग तथा राजस्व विभाग के साथ एकीकरण किया गया है, जिससे सम्पत्ति

के स्वामित्व का सामान्य अवलोकन के साथ अंतरित सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन सम्भव हो पा रहा है।

2– विभागीय पोर्टल (eregistrationukgov.in) के अन्तर्गत PDE में Preview Button को click करके पक्षकार को प्रश्नगत सम्पत्ति के पूर्ववर्ती अन्तरण के विवरण उपलब्ध होंगें, जिससे धोखाधड़ी पर अंकुश के साथ–साथ विभागीय कार्य में पादर्शिता आयेगी।

3– विभागीय पोर्टल (eregistrationukgov.in) के अन्तर्गत e-search module में click करके पक्षकार को प्रश्तगत सम्पत्ति के पूर्ववर्ती पंजीकृत विलेखों के विवरण उपलब्ध हैं।

4– विभागीय logo एवं online QR code के माध्यम से पंजीकृत विलेखों का सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, आमजन हेतु पंजीकृत विलेख का विवरण QR code के माध्यम से अवलोकित किया जा सकता है।

5– उत्कृष्ट जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 16 उपनिबंधक कार्यालयों के अनुरक्षण / जीर्णोद्वार, रिकार्ड रूम मार्डनाईजेशन के निर्माण का कार्य गतिमान है।

6– जनपद स्थित कार्यालयों में शास्वत काल तक अनुरक्षित समस्त अभिलेखों को केन्द्रीकृत मॉनटरिंग के साथ संरक्षण हेतु जनपद–देहरादून, हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर व नैनीताल में अत्याधुनिक केन्द्रीय अभिलेखागार के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।

7– विलेखों के पंजीकरण हेतु वर्तमान प्रवृत्त व्यवस्था के साथ–साथ Paperless Registry की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे आमजन घर बैठ ऑनलाईन स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क जमा करते हुए ऑन–लाईन पंजीकृत प्रक्रिया करते हुए, नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर लेखपत्र पंजीकृत करा सकते है और पंजीकृत लेखपत्र ऑन लाईन ई–मेल Whatsapps के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

8– पंजीकरण के पश्चात् नामांकरण हेतु Scanned Document एवं Live Data तत्काल राजस्व विभाग के RCMS Portal पर प्रेषित हो रहा है।

9– राजस्व प्राप्तिः– स्टाम्प एवं निबन्धक विभाग में कार्य एवं दायित्वों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राज्य गठन के समय आय लगभग रु0 70 करोड़ (रु0 सत्तर करोड़) थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु0 2638.19 करोड़ हो गई है। गत् वित्तीय वर्ष के

सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–मार्च, 2026 (05 मार्च तक) की अद्यतन राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्न तालिकानुसार हैः–

(आंकड़ें करोड़ रु0 में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
1–	2024–25	2665.00	2638.19	99.00%
2–	2025–26	2798.00	2538.84 (01 अप्रैल, 2025 से 05 मार्च, 2026 तक प्राप्त आय)	90.74%

नोटः–आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय राजस्व लगभग रु0 3150 करोड़ सम्भावित है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड में आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नलिखित नवाचार प्रस्तावित हैः–

1– विलेखों के पंजीकरण हेतु वर्तमान प्रवृत्त व्यवस्था के साथ–साथ Virtual Registration की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिससे आमजन घर बैठ स्वयं नियत समय पर ऑन लाईन स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क जमा करते हुए लेखपत्र पंजीकृत किया जा सकेगा।

2– जनपद स्थित कार्यालयों शास्वत काल तक अनुरक्षित समस्त अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग के साथ अत्याधुनिक केन्द्रीय अभिलेखागार की स्थापना।

3– ऑन–लाईन PAN verification तथा POS Machine के माध्यम से Cashless Fee की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना ।

4– उत्कृष्ट जनसुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उपनिबन्धक कार्यालयों के अनुरक्षण/जीर्णोद्वार, रिकार्ड रूम मार्डनाईजेशन के निर्माण का कार्य सम्पादित किया जाना।

5– अत्याधुनिक सुविधाजनक पंजीयन सेवा केन्द्र (PSK) के स्थापना प्रस्तावित।

(घ) औद्योगिक विकास विभाग

प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–डस्टिनेशन उत्तराखण्ड का सफल आयोजन किया गया है। राज्य में

ईज–ऑफ–डूईंग बिजनेस के साथ– साथ पीस–ऑफ–डूईंग बिसनेस के लिए भी अनुकूल माहौल निर्मित हुआ है जिससे राजस्व अभिवृद्धि के साथ–साथ रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होना संभावित है।

(च) नियोजन विभाग

राज्य की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास में त्वरित गति लाने के उद्देश्य से ''उत्तराखण्ड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड'' (यू0आई0आई0डी0बी0) का गठन किया गया है जिसके द्वारा पी0पी0पी0 परियोजनाओं की पहचान परियोजना की व्यवहारिकता, गैप फंडिग का निर्धारण, मार्केटिंग आधारभूत संरचनाओं के रिस्क एनालेसिस आदि का कार्य प्राथमिकता पर किये जायेंगें।

मुख्य संकेतकों की संवीक्षा, राजकोषीय सुधार पथ एवं संपोषणीयता

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्राविधान तथा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपना राजकोषीय सुधार पथ तैयार किया गया था। इसके अन्तर्गत राजस्व घाटे को समाप्त किया जाना तथा सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक लाना है।

मध्यकालिक राजकोषीय प्रारूप परिशिष्ट–5 तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में परिशिष्ट–6 संलग्न है। इस प्रारूप में उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में दिए गए लक्ष्यों को अगले 3 वर्षों में वार्षिक लक्ष्यों में अपघटित किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति में राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय की तुलना में अधिक वृद्धि दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतनेत्तर संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में वृद्धि, प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण तथा गैर–मेरिट सब्सिडी पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है।

इस प्रकार राजकोषीय सुधार की रणनीति के दो मुख्य घटक हैं– राज्य के स्वयं के राजस्व में अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण एवं पूँजी निवेश में वृद्धि एवं संचालन तथा अनुरक्षण व्यय में वृद्धि के माध्यम से लोक व्यय की संरचना में सुधार। उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्यय का संरक्षण

एवं उसमें वृद्धि लोक व्यय की संरचना में सुधार की रणनीति का अनिवार्य अंग है ताकि लोक व्यय विकासोन्मुखी हो सके।

निम्नांकित तालिका में वर्ष 2024–25 के वास्तविक आंकड़े, वर्ष 2025–26 से वर्ष 2026–27 तक के अनुमान तथा आगामी 3 वर्षों के प्रक्षेपित अनुमान दिए गये हैं। यह राजकोषीय सुधार कार्यक्रम राज्य की अर्थ व्यवस्था में विकास के महत्वकांक्षी लक्ष्यों पर आधारित है।

तालिका–2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रतिशत के रूप में संकेतक

क्र0सं0	मद	2024–25 वास्तविक	2025–26 बजट अनुमान	2025–26 पुनरीक्षित अनुमान	2026–27 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिए		
						2027–28	2028–29	2029–30
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	6.00%	5.59%	6.20%	6.06%	6.06%	6.06%	6.06%
2	राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व	1.20%	1.02%	1.36%	1.33%	1.25%	1.17%	1.10%
3	राजस्व बचत	0.42%	0.60%	0.64%	0.59%	0.04%	0.26%	0.48%
4	राजकोषीय घाटा	2.96%	2.94%	2.79%	2.94%	3.08%	2.99%	2.90%
5	अवशेष ऋण एवं दायित्व	27.20%	24.86%	26.09%	24.37%	23.94%	23.32%	22.55%

उपरोक्त तालिका–2 को देखने से स्पष्ट होता है कि स्वयं का कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.00 प्रतिशत था, उसके वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.59 प्रतिशत के स्तर से पुनरीक्षित अनुमान 6.20 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2026–27 में यह 6.06 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राज्य का करेत्तर राजस्व जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.20 प्रतिशत था। वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.36 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष 2026–27 में 1.33 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.96 प्रतिशत था। वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों मे राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत अनुमानित था जो कि पुनरीक्षित अनुमानों में घटकर 2.79 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत होने का अनुमान है, तथा आगामी वर्षों में भी इसका लगभग 3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। जो की एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमान्तर्गत है।

राजकोषीय नीति की संपोषणीयता का आंकलन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विविध संकेतकों के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें से कुछ मुख्य संकेतक निम्न तालिका में दिये गये हैः–

तालिका–3

क्र0सं0	मद	2024–25 वास्तविक	2025–26 बजट अनुमान	2025–26 पुनरीक्षित अनुमान	2026–27 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिए		
						2027–28	2027–28	2028–29
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वेतन+पेंशन+ब्याज / राजस्व प्राप्ति	61.53%	60.23%	58.73%	60.96%	65.91%	65.90%	65.73%
2	वेतन+पेंशन+ब्याज / राजस्व व्यय	63.32%	62.83%	61.13%	63.34%	66.10%	67.02%	67.85%
3	पूंजीगत परिव्यय / राजकोषीय घाटा	107.80%	117.12%	139.89%	144.30%	123.44%	130.37%	138.02%
4	राजस्व बचत / राजस्व प्राप्ति	2.83%	4.13%	3.93%	3.76%	0.28%	1.68%	3.12%

ऋणों का पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में योगदान की स्थिति

पूंजीगत परिव्यय/ राजकोषीय घाटा अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि सरकार की शुद्ध ऋण प्राप्तियों के कितने अंश का उपयोग निवेश एवं आस्तियों के सृजन पर किया जा रहा है। इस संकेतक के 100 प्रतिशत से अधिक होने से यह परिलक्षित होता है कि न केवल सरकार के शुद्ध ऋण का शत–प्रतिशत उपयोग पूंजीगत परिव्यय पर हो रहा है अपितु पूंजीगत

परिव्यय के एक बड़े अंश का वित्त पोषण राजस्व बचत से किया जा रहा है। वर्ष 2026–27 के बजट में इस अनुपात के 144.30 प्रतिशत रहने का अनुमान है तथा आगामी वर्षों में भी इसके 100 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है।

इस प्रकार सभी सूचकों से राजकोषीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण में निरन्तरता परिलक्षित होती है। इनसे यह भी परिलक्षित होता है कि लोक व्यय की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार हो रहे हैं।

राज्य की ऋणग्रस्तता

नीचे दिये ग्राफ में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता दर्शायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह 23609 करोड़ थी जो कि वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक अनुमानों में रू0 104245 करोड़ होना अनुमानित है।

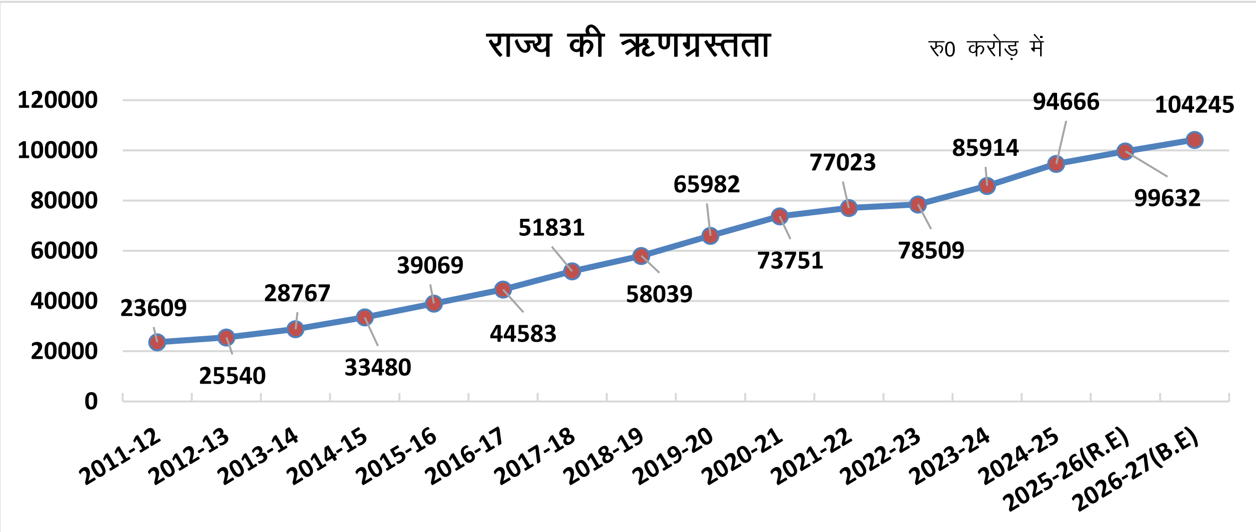

स्त्रोतः– वित्त लेखे, महालेखाकार, बजट आय–व्ययक, उत्तराखण्ड

नीचे दिये गये ग्राफ में कुल ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के उपरांत इसके अनुपात में निरंतर गिरावट हो रही है। वर्तमान में यह प्रतिशत एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के सीमान्तर्गत एवं आगामी वर्षों में भी इसके सीमान्तर्गत ही रहने की सम्भावना है।

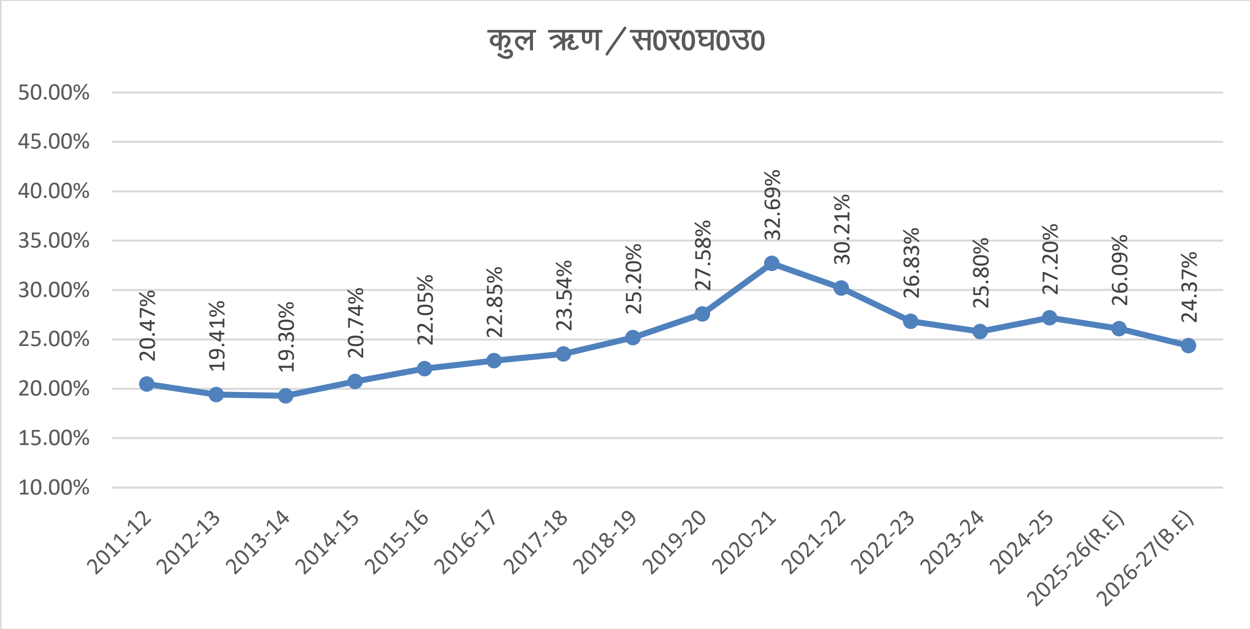

कुल ऋण / स0र0घ0उ0
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
20.47%
19.41%
19.30%
20.74%
22.05%
22.85%
23.54%
25.20%
27.58%
32.69%
30.21%
26.83%
25.80%
27.20%
26.09%
24.37%
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26(R.E)
2026-27(B.E)

उत्तराखण्ड़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण।

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था हैः—

''वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बंधित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा।

पुनर्विलोकन रिपोर्ट मेंः—

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायेगाः—

(ख) स्पष्ट किया जायेगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बंधी परिणामों से सम्बंधित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

वर्ष 2024—25 के महालेखाकार से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2024—25 की तथा वर्ष 2025—25 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर वर्ष 2025—26 की पुनर्विलोकन रिपोर्ट निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है।

(1) वर्ष 2024—25 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्टः—

वर्ष 2024—25 के लिये महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक आँकड़ों के अनुसार स्थिति निम्नवत् हैः—

तालिका–4

(धनराशि करोड़ रूपये में)

मद	बजट अनुमान 2024–2025	वास्तविक आँकड़े 2024–2025	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	22509.32	20878.72	92.76
2. करेतर राजस्व	4873.38	4181.52	85.80
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	13637.15	14387.36	105.50
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	19533.06	12025.73	61.57
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	60552.91	51473.33	85.01
6. उधार एवं अग्रिम की वसूली	124.21	36.69	29.54
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	60677.12	51510.02	84.89
(ब) व्यय			
8. राजस्व व्यय	55815.77	50015.58	89.61
9. पूँजीगत परिव्यय	13779.67	11105.50	80.59
10. उधार एवं अग्रिम	498.10	691.00	138.73
11. कुल व्यय	70093.54	61812.08	88.19
(स) राजस्व बचत (+)/घाटा (–)	4737.14	1457.75	30.77
(द) राजकोषीय घाटा	-9416.42	-10302.06	109.41

उपरोक्त तालिका–1 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2024–25 के वास्तविक आंकड़ों में राजस्व अधिशेष में बजट अनुमानों के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है। आय–व्ययक अनुमानों में अनुमानित राजस्व अधिशेष रू0 4737.14 करोड़ रूपये के सापेक्ष वास्तविक आँकड़ों में राजस्व अधिशेष रू0 1457.75 करोड़ हुआ है। अर्थात राजस्व अधिशेष में कमी हुई है तथा राज्य सरकार वर्ष के अन्त में राजस्व अधिशेष में रही है। राजस्व अधिशेष में कमी का मुख्य कारण राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत रु0 60677.12 करोड़ के सापेक्ष रु0 51510.02 करोड़ की प्राप्ति का होना है जो कि बजट अनुमान से रु0 9079.

58 कम बजट अनुमान का 85.01 प्रतिशत है। (बजट अनुमान का 89.60 प्रतिशत) है। इसी प्रकार पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत बजट अनुमान रू0 13779.67 करोड़ के सापेक्ष रू0 11105.50 करोड़ का व्यय हुआ जो कि बजट अनुमान से रू0 2674.17 करोड़ कम है (बजट अनुमान का 80.59 प्रतिशत) है। राज्य का राजकोषीय घाटा रू0 10302.06 करोड़ है जो कि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट की निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है।

(2) वर्ष 2025–26 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्टः–

वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार सरकार की राजकोषीय स्थिति निम्नवत् हैः–

तालिका–5

(धनराशि करोड़ रूपये में)

मद	**बजट अनुमान 2025–2026**	**पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026**	**बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में**
1	**2**	**3**	**4**
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	24014.82	23680.03	98.61
2. करेतर राजस्व	4395.48	5198.48	118.27
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	15902.92	15573.41	97.93
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	18227.32	18187.52	99.78
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	62540.54	62639.44	100.16
6. उधार एवं अग्रिम की वसूली	24.21	26.36	108.88
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	62564.75	62665.80	100.16
(ब) व्यय			
8. राजस्व व्यय	59954.65	60178.38	100.37
9. पूंजीगत परिव्यय	14763.13	14883.35	100.81
10. उधार एवं अग्रिम	451.89	543.69	120.31
11. कुल व्यय	75169.67	75605.42	100.58
(स) राजस्व बचत	2585.89	2461.06	95.17
(द) राजकोषीय घाटा	-12604.92	-12939.62	102.66

तालिका–2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित अनुमानों में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के सापेक्ष 0.16 प्रतिशत अधिक अनुमानित है। गैर उधार प्राप्तियाँ बजट अनुमान

में ली गयी कुल गैर उधार प्राप्तियों से लगभग 100.16 प्रतिशत होने का अनुमान है।

पुनरीक्षित अनुमानों में कुल व्यय बजट अनुमान का 100.58 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व व्यय 100.37 प्रतिशत, पूंजीगत परिव्यय 100.81 प्रतिशत तथा उधार एवं अग्रिम व्यय 120.31 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों में रू0 2585.89 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित था, जिसके सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व अधिशेष रू0 2461.06 करोड़ रहने का अनुमान है। बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा रू0 12604.92 करोड़ के सापेक्ष लगभग रू0 10640 करोड़ (एस.ए.एस.सी.आई की धनराशि को छोड़ते हुए) रहने का पुनरीक्षित अनुमान है। यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। इस प्रकार बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व अधिशेष में आंशिक कमी होने का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटे का एफ.आर.बी.एम. एक्ट की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत होने का अनुमान है।

मध्यकालिक पुनः संरचना नीति निरूपणों में निहित पूर्व अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स0रा0घ0उ0):– वर्ष 2011–12 को आधार मानते हुए स0रा0घ0उ0 की श्रंखला को लेकर वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमान लिये गये हैं तथा इसी अनुमान पर वर्ष 2026–27 तथा आगामी वर्षों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर ली गयी है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक को आधार वर्ष मानते हुए प्राप्ति एवं व्यय की विभिन्न मदों के पूर्वानुमान निम्न प्रकार लिये गये हैं।

1. **राज्य का स्वयं का कर राजस्वः–** मध्यकालिक अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों पर वित्तीय वर्ष 2027–28 से वर्ष 2029–30 हेतु 12 प्रतिशत की वृद्धि दर लेते हुए पूर्वनुमान निर्धारित किये गये है।

2. **राज्य के करेत्तर राजस्वः—** करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से पेंशन की प्राप्ति को छोड़ते हुए शेष धनराशि पर 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर ली गयी है।

3. **केन्द्रीय करों में राज्य का अंशः—** वर्ष 2026—27 के बजट अनुमानों पर वित्तीय वर्ष 2027—28 से वर्ष 2029—30 हेतु 12 प्रतिशत की वृद्धि दर लेते हुए पूर्वनुमान निर्धारित किये गये है।

4. **केन्द्र सरकार से सहायता अनुदानः—** केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान की मद में वर्ष 2026—27 के बजट अनुमानों पर वित्तीय वर्ष 2027—28 से वर्ष 2029—30 हेतु 11 प्रतिशत की वृद्धि दर लेते हुए पूर्वनुमान निर्धारित किये गये है।

5. **ऋणों से प्राप्तियां :—**राज्य को ऋण से होने वाली प्राप्तियों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 % के बराबर प्राप्ति ली गयी है।

6. **राजस्व व्ययः—** राजस्व व्यय की मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों को आधार मानते हुए वेतन, पेंशन, एवं ब्याज की मद को छोड़ते हुए प्रक्षेपित अवधि के लिए लगभग 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि ली गयी है।

7. **वेतनः—** राज्य कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए वेतन में होने वाले व्यय में निम्नानुसार अनुमान प्रक्षेपित किये गये हैं। आठवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित कर लिया गया है। जिसकी संस्तुति निकट भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2027—28 के लिए वेतन की मद में आठवें वेतन आयोग की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है तथा इसके पश्चात् वर्ष 2028—29 तथा 2029—30 में 9 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2027—28 के आकड़ों पर ली गयी है।

8. **पेंशनः–** आठवां वेतन आयोग की संस्तुतियों निकट भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है | वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए पेंशन की मद में आठवें वेतन आयोग की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है तथा इसके पश्चात् वर्ष 2028–29 तथा 2029–30 में 10 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2027–28 के आकड़ों पर ली गयी है|

9. पेंशन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि ली गयी है। आठवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित कर लिया गया है | जिसकी संस्तुति वितीय वर्ष 2026 –27 में प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2027 –28 के लिए वेतन एवं पेंशन की मद में आठवें वेतन आयोग की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए 22 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है तथा 2028–29 में 9 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2027–28 के आकड़ों पर ली गयी है |

10. **ब्याजः–** ब्याज पर होने वाले व्यय की गणना राज्य के ऋणकोष पर औसत ब्याज दर लगभग 9 प्रतिशत मानते हुए की गयी है।

11. **पूंजीगत परिव्ययः–** पूंजीगत परिव्यय सरकार का निवेश व्यय तथा भौतिक आस्तियों के निर्माण एवं उनके मूल्य संवर्द्धन पर होने वाला व्यय है। कुल प्राप्तियों में सें राजस्व प्राप्तियों को हटाने के पश्चात् जो धनराशि शेष बचेगी उसका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत किया जायेगा। अतः पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2027–28 में रू0 18200 करोड तथा वित्तीय वर्ष 2028–29 व 2029–30 में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर 2027–28 पर ली गई है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष पूंजीगत परिसम्पत्तियों

के सृजन हेतु मिलने वाली विशेष सहायता की धनराशि भी सम्मिलित है।

12. **ऋण एवं अग्रिमः–** राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में आवश्यकता एंव उपलब्धता के आधार पर व्यय के अनुमान लिये गये हैं।

राज्य के मध्यकालिक राजकोषीय नीति के सुधार पथ के संकेतकों का विवरण परिशिष्ट 9 एवं 10 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के वास्तविक लेखे, 2024–2025 के आय–व्ययक व पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक की समीक्षा गत वर्ष के बजट साहित्य में दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के वास्तविक लेखे, वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक व पुनरीक्षित अनुमानों की समीक्षा व वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक की समीक्षा अगले पृष्ठों में दी गई है।

****

वित्तीय स्थिति की समीक्षा

इस भाग में निम्नलिखित अनुमानों/वास्तविक आँकड़ों की संक्षिप्त समीक्षा की गई है:–

(1) वर्ष 2024–2025 के वास्तविक आँकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा उसी वर्ष (2024–2025) के आय–व्ययक अनुमानों से की गयी है,

(2) वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना उसी वर्ष (2025–2026) के आय–व्ययक अनुमानों से की गयी है, और

(3) वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक अनुमानों की तुलना वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों से की गयी है।

2024–2025 का लेखा		
नीचे दिये हुए विवरण–पत्र में 2024–2025 के लेखे संक्षेप में दिये गये है:–		
		(करोड़ रूपयों में)
मद	**मूल आय–व्ययक अनुमान 2024–2025**	**वास्तविक आँकड़े 2024–2025**
1	**2**	**3**
प्रारम्भिक शेष	6.16	-102.34*
1– समेकित निधि		
(1) प्राप्तियाँ–		
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ	60552.90	51473.34
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ (i+ii+iii)		
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ #	27920.00	39708.51
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	24.21	36.69
(iii) अन्य पूंजीगत प्राप्तियॉ	100.00	
योग– (ख)– पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**28044.21**	**39745.20**
योग, प्राप्तियाँ	**88597.11**	**91218.54**
(2) व्यय–		
(क) राजस्व लेखे का व्यय	55815.77	50015.58
(ख) पूँजी लेखे का व्यय (i+ii+iii)		
(i) पूँजीगत परिव्यय	13779.67	11105.50
(ii) ऋणों का प्रतिदान #	19136.53	28994.14
(iii) ऋणों और अग्रिम	498.10	691.00
योग– (ख)– पूँजी लेखे का व्यय	**33414.30**	**40790.64**
योग, व्यय	**89230.07**	**90806.22**
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	-632.96	412.32
2– आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	100.00	-1.32
3– लोक लेखा (शुद्ध)	600.00	-309.85
समस्त लेन–देनों का शुद्ध परिणाम	67.04	101.15
अंतिम शेष	73.20	-1.19
* महालेखाकार के लेखों के अनुसार।		
# भारतीय रिजर्ब बैंक से आर्थोपाय अग्रिम की रू0 15000 करोड़ की धनराशि आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2024–25 में ऋणों से प्राप्ति तथा भुगतान की मद में तथा वास्तविक आंकड़ों में ऋणों से प्राप्ति के अन्तर्गत रू0 25904.74 करोड़ तथा ऋणों के भुगतान मद के अन्तर्गत रू0 25072.96 करोड़ की धनराशि ली गई है।		

वित्तीय वर्ष 2024—2025 के आय—व्ययक में कुल रू0 88597.11 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी जिसमें राजस्व लेखे के अन्तर्गत रू0 60552.90 करोड़ तथा पूंजी लेखे में रू0 28044.21 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी। इसके सापेक्ष वास्तविक आकड़ों के अनुसार कुल रू0 91218.54 करोड़ की प्राप्ति हुई है। समग्र प्राप्ति के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2024—2025 में कुल वास्तविक प्राप्ति अनुमानित प्राप्ति से रू0 2621.43 करोड़ की अधिक प्राप्ति हुई है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों के प्रमुख स्रोत भारत सरकार से प्राप्त सहायता/ऋण तथा राज्य सरकार के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व हैं। वर्ष 2024—2025 के आय—व्ययक अनुमानों के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में राज्य का अंश, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान/तथा केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद मे वास्तविक ऑकड़ों के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार हैः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2024—2025	वास्तविक ऑंकड़े 2024—2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	13637.15	14387.36	750.21	105.50
2—	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	19533.06	12025.75	-7507.31	61.57
3—	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1660.00	2599.54	939.54	156.60
	योगः—	**34830.21**	**29012.65**	**-5817.56**	**83.30**

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित ऑकड़ों के आधार पर यह इंगित होता है कि भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में वर्ष 2024—2025 के मूल आय—व्ययक में अनुमानित कुल प्राप्ति रू0 13637.15 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक रूप में रू0 14387.36 करोड की प्राप्ति हुई थी जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 750.21 करोड़ अर्थात 5.50 प्रतिशत अधिक है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान की मद में रू0 19533.06 करोड़ के सापेक्ष रू0 12025.75 करोड़ की प्राप्ति हुई थी जो अनुमानित प्राप्ति से रू0 7507.31 करोड़ अर्थात 38.43 प्रतिशत कम है तथा केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में अनुमानित प्राप्ति रू0 1660.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 2599.54 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 939.54 करोड़ अधिक है। कुल मिलाकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों में रू0 5817.56 करोड़ की कम प्राप्ति हुई जो वर्ष 2024—2025 की अनुमानित प्राप्ति से 16.70 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के कर राजस्व की प्रमुख मदों में न्यूनाधिकतायें निम्न प्रकार थीः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2024—2025	वास्तविक आँकड़े 2024—2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	होटल प्राप्ति कर	0.08	0.10	0.02	125.00
2—	भू—राजस्व	50.06	18.76	-31.30	37.48
3—	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	2665.20	2601.90	-63.30	97.62
4—	राज्य उत्पाद शुल्क	4439.45	4362.05	-77.40	98.26
5—	जी0एस0टी0 तथा वैट	12704.47	11870.87	-833.60	93.44
6—	वाहन कर	1550.00	1474.11	-75.89	95.10
7—	विद्युतकर तथा शुल्क	550.06	365.02	-185.04	66.36
8—	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	550.00	185.91	-364.09	33.80
	योगः—	**22509.32**	**20878.72**	**-1630.60**	**92.76**

वर्ष 2024—2025 के अनुमानित स्वयं के कर राजस्व रू0 22509.32 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक ऑकड़ों के अनुसार रू0 20878.72 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 1630.60 करोड़ अर्थात 7.24 प्रतिशत कम है। कर राजस्व में कम प्राप्ति का मुख्य कारण राज्य की जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में आय—व्ययक के अनुमानों के सापेक्ष रू0 833.60 करोड़, विघुत कर तथा शुल्क की मद के अन्तर्गत 185.04 करोड़, वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क जिसमें मुख्यतः जल कर आता है के अन्तर्गत रू0 364.09 करोड़, वाहन कर की मद में रू0 75.89 करोड़, भू—राजस्व की मद में रू0 31.30 करोड, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की मद में रू0 63.30 करोड़ तथा राज्य उत्पादन शुल्क की मद में 77.40 करोड़ की कम प्राप्ति हुई है। समग्र रूप से राज्य के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति कुल अनुमानित प्राप्ति के लक्ष्य का प्रतिशत रू0 92.76 रही है।

राज्य रकार की समस्त राजस्व प्राप्तियों की न्यूनाधिकतायें निम्नवत् परिलक्षित हो रही हैः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2024—2025	वास्तविक आँकड़े 2024—2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	राजस्व लेखा				
1—	कर राजस्व	22509.32	20878.72	-1630.60	92.76
2—	करेत्तर राजस्व	4873.38	4181.54	-691.84	85.80
3—	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	19533.06	12025.75	-7507.31	61.57
4—	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	13637.15	14387.36	750.21	105.50
	योग—राजस्व लेखा	**60552.91**	**51473.38**	-9079.54	**85.01**

राजस्व लेखे की कुल अनुमानित प्राप्ति रू0 60552.91 करोड़ के सापेक्ष कुल वास्तविक प्राप्ति रू0 51473.38 करोड़ हुई है जो अनुमानित प्राप्ति से रू0 9079.54 करोड़ अर्थात 14.99 प्रतिशत कम है। राजस्व प्राप्ति में जो कमी परिलक्षित हो रही है वह मुख्यतः केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान की मद में रू0 7507.31 करोड़, कर राजस्व के अन्तर्गत रू0 1630.60 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 691.84 करोड़ की कम प्राप्ति के कारण है।

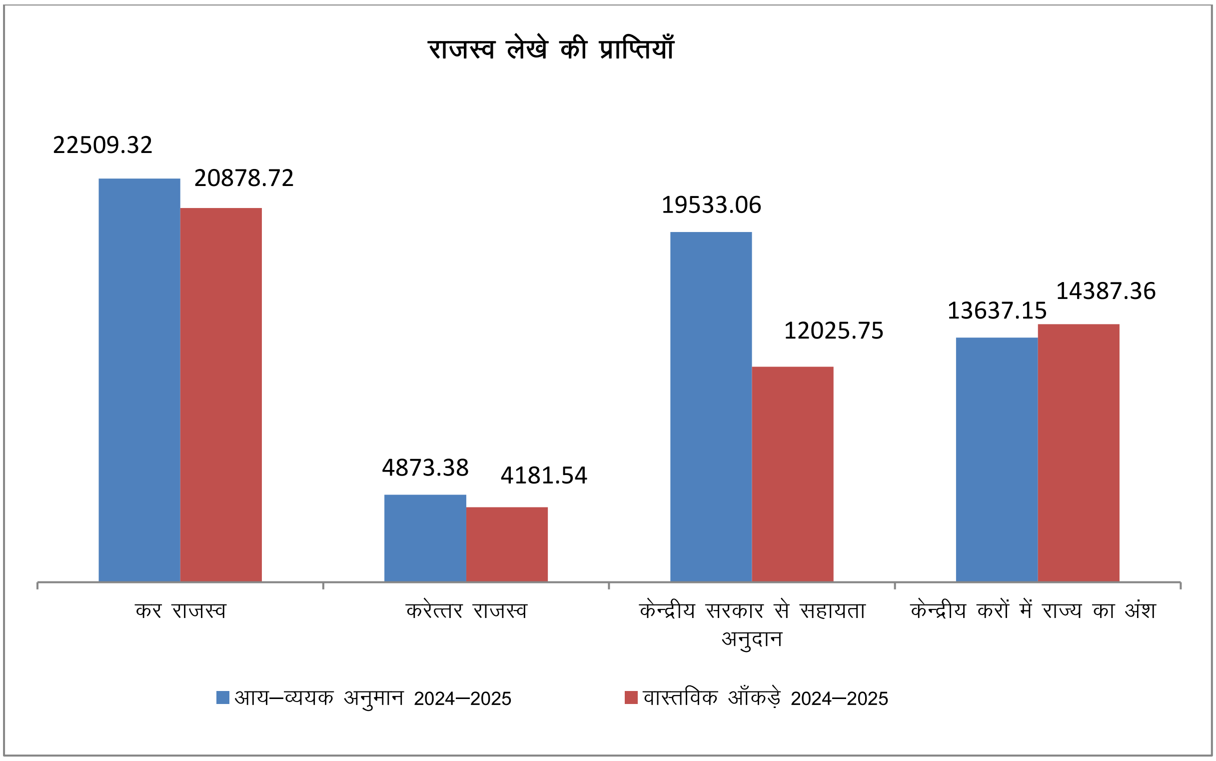

पूँजी लेखे

राज्य सरकार की समस्त पूँजीगत प्राप्तियों की न्यूनाधिकतायें निम्नवत् परिलक्षित हो रही है:–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2024–2025	वास्तविक आँकड़े 2024–2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	पूँजीलेखा				
1–	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	26260.00	37108.97	10848.97	141.31
2–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1660.00	2599.54	939.54	156.60
3–	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	124.21	36.69	-87.52	29.54
	योग– पूँजी लेखा की प्राप्तियाँ	**28044.21**	**39745.20**	**11700.99**	**141.72**

पूंजी लेखे के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक अनुमानों में रू0 28044.21 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी जिसके सापेक्ष 2024–2025 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार रू0 39745.20 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि आय–व्ययक अनुमानों से रू0 11700.99 करोड़

अधिक है। पूंजी लेखे की प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की मद में रू0 10848.97 करोड (जिसमें मुख्यतः अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि आती है) तथा केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में रू0 939.54 करोड़ की अधिक प्राप्ति का होना है।

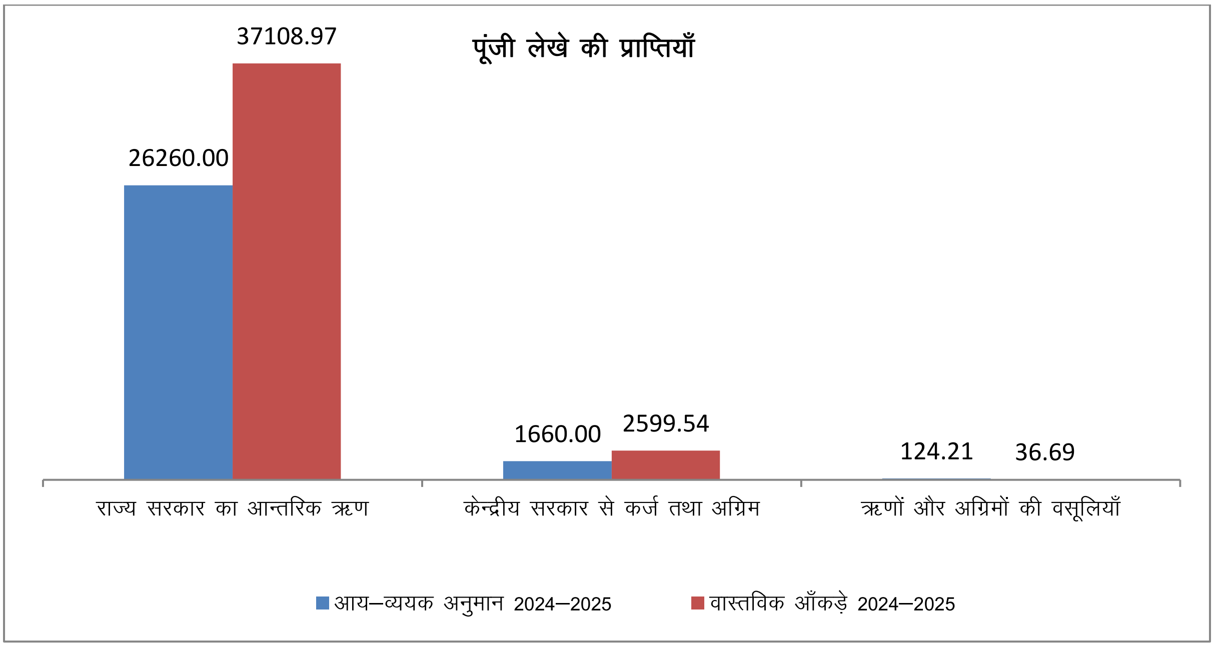

राजस्व लेखे का व्यय

वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक में राजस्व व्यय हेतु रू0 55815.77 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2024–2025 के वास्तविक अनुमानों के अनुसार कुल रू0 50015.58 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। इस प्रकार कुल वास्तविक राजस्व व्यय अनुमानित व्यय से रू0 5800. 19 करोड़ कम रहा। संक्षिप्त में स्थिति निम्न प्रकार रहीः–

(करोड़ रूपयों में)

मदें	आय–व्ययक अनुमान 2024–2025	वास्तविक आँकड़े 2024–2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
सामान्य सेवायें	21142.18	19581.66	-1560.52
सामाजिक सेवायें	22087.27	20694.18	-1393.09
आर्थिक सेवायें	8898.65	7032.11	-1866.54
सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3687.67	2707.63	-980.04
योग–राजस्व लेखा	**55815.77**	**50015.58**	**-5800.19**

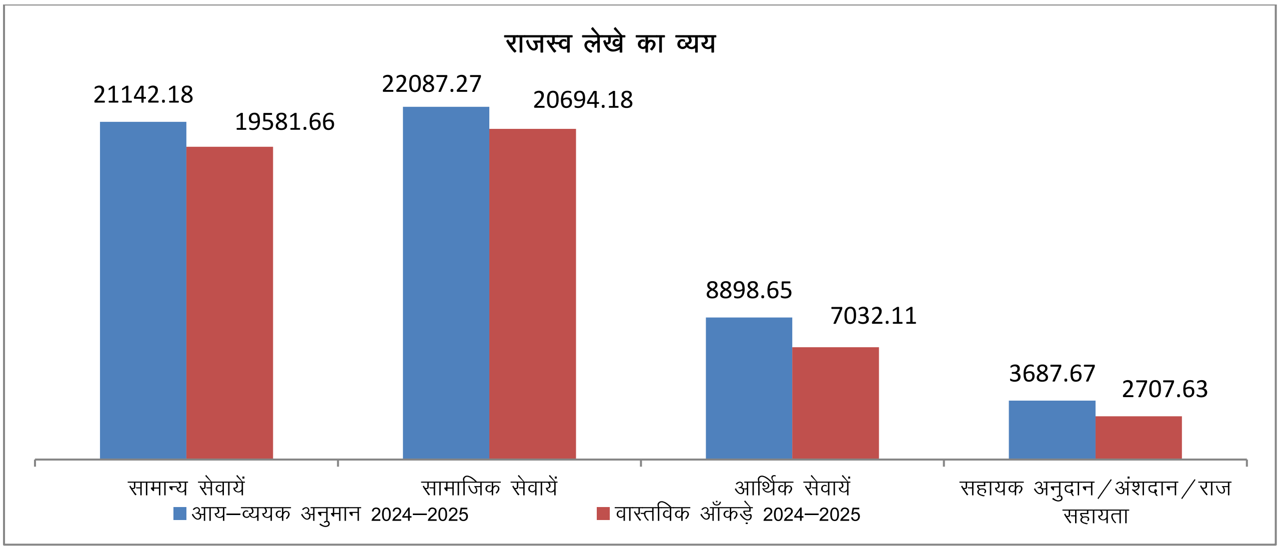

पूँजी लेखे का व्यय

वर्ष 2024–2025 के मूल आय–व्ययक के पूंजी लेखे का व्यय पक्ष में रू0 33414.30 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। इसके सापेक्ष वास्तविक व्यय रू0 40790.64 करोड़ रहा, इस प्रकार समग्र रूप से मूल अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय रू0 7376.34 करोड़ अधिक रहा है जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (जिसमें मुख्यतः अर्थोपाद अग्रिम के भुगतान की धनराशि आती है) की मद मे रू0 19050.32 करोड़ के सापेक्ष रू0 28931.98 करोड़ व्यय अर्थात रू0 9881.66 करोड़ अधिक व्यय हुआ है। यदि पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय में से अर्थोपाय अग्रिम के प्रतिदान की धनराशि को निकाल दिया जाए तो पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 23.91 प्रतिशत आता है।

उपर्युक्त व्यय में जो न्यूनाधिकतायें परिलक्षित हो रही है उसे निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है:–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2024–2025	वास्तविक आँकड़े 2024–2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
1–	सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3205.16	2047.61	-1157.55
2–	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3102.14	2927.24	-174.90
3–	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7472.37	6130.65	-1341.72
	योगः– पूँजीगत परिव्यय	**13779.67**	**11105.50**	-2674.17
4–	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	19050.32	28931.98	9881.66
5–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा आग्रिम	86.21	62.16	-24.05
	योगः– लोक ऋण	**19136.53**	**28994.14**	**9857.61**
6–	कर्ज तथा उधार	498.10	691.00	192.90
	योगः– पूँजी लेखा	**33414.30**	**40790.64**	**7376.34**

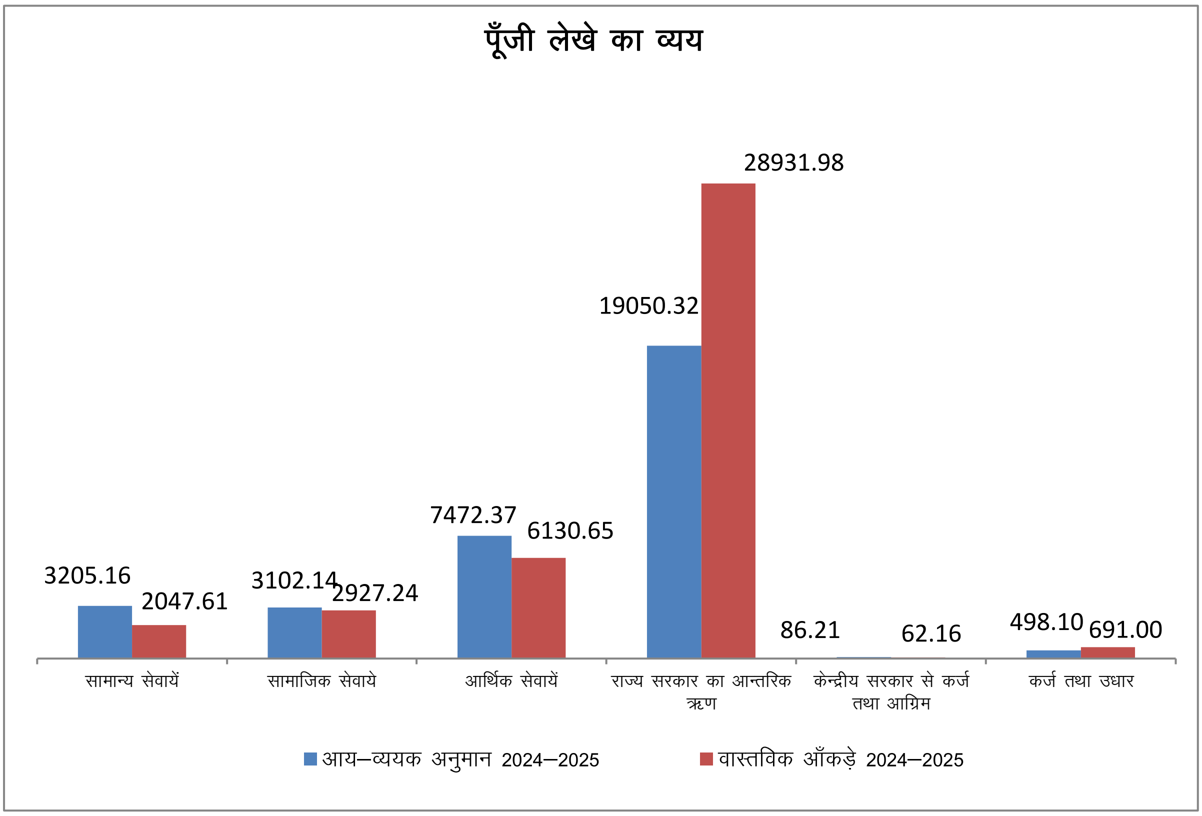

सेक्टरवार स्थितिः–संक्षेप में वित्तीय वर्ष 2024–2025 की राज्य की सेक्टरवार व्यय की स्थिति की मूल आय–व्ययक अनुमान व पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2024–2025	वास्तविक आँकड़े 2024–2025	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1–	सामान्य सेवायें	24347.34	21629.27	-2718.07	88.84
2–	सामाजिक सेवाये	25189.41	23621.42	-1567.99	93.78
3–	आर्थिक सेवायें	16371.02	13162.76	-3208.26	80.40
4–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3687.67	2707.63	-980.04	73.42
5–	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	19050.32	28931.98	9881.66	151.87
6–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा आग्रिम	86.21	62.16	-24.05	72.10
7–	कर्ज तथा उधार	498.10	691.00	192.90	138.73
	योग व्यय	**89230.07**	**90806.22**	**1576.15**	**101.77**

लोक लेखा

मुख्यतः लोक लेखा के अन्तर्गत लेन–देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऋण शोधन निधियों के तथा विभिन्न निकायों के निवेशों और अन्य निवेशों आदि से है जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ट्रस्टी एवं बैंकर के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के अन्तर्गत कुल रू0 600 करोड़ की मूलतः अनुमानित शुद्ध प्राप्ति की तुलना मे वर्ष 2024–2025 के वास्तविक अनुमानों के अनुसार हुए लेन देनों के फलस्वरूप रू0 309.85 करोड़ की ऋणात्मक शुद्ध प्राप्ति लेखे में प्रदर्शित है।

समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम

मूल आय–व्ययक अनुमानों में वर्ष के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम रू0 67.04 करोड़ धनात्मक अनुमानित था। वास्तविक अनुमानों के आधार पर यह रू0 101.15 करोड़ धनात्मक है तथा प्रारम्भिक शेष रू0 102.34 करोड़ ऋणात्मक लेने पर अन्तिम शेष रू0 1.19 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित है।

आय–व्ययक अनुमान 2025–2026

निम्नलिखित विवरण–पत्र में वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक व पुनरीक्षित अनुमान की स्थिति का सारांश दिया गया हैः–

(करोड़ रूपयों में)

मद	मूल आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026
1	**2**	**3**
प्रारम्भिक शेष	70.46	-1.19*
1– समेकित निधि		
(1) प्राप्तियाँ–		
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ	62540.54	62639.44
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ (i+ii)		
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ #	38470.00	39550.00
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	24.21	26.36
योग खः– पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**38494.21**	**39576.36**
योग– (1) प्राप्तियाँ	**101034.75**	**102215.80**
(2) व्यय–		
(क) राजस्व लेखे का व्यय	59954.65	60178.38
(ख) पूँजी लेखे का व्यय (i+ii+iii)		
(i) पूँजीगत परिव्यय	14763.13	14883.35
(ii) ऋणों का प्रतिदान #	26005.66	26005.62
(iii) ऋण और अग्रिम	451.89	543.69
योग– (ख)– पूँजी लेखे का व्यय	**41220.68**	**41432.66**
योग, (2) व्यय	**101175.33**	**101611.04**
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	-140.58	604.76
2– आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	50.00	50.00
3– लोक लेखा (शुद्ध)	200.00	100.00
समस्त लेन–देनों का शुद्ध परिणाम	109.42	754.76
अंतिम शेष	179.88	753.57

भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम की रु0 19500 करोड़ की धनराशि आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2025–26 तथा पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2025–26 में सम्मिलित है।

* महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

वित्तीय वर्ष 2025—2026 के आय—व्ययक में कुल रू0 101034.75 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी जिसमें राजस्व लेखे के अन्तर्गत रू0 62540.54 करोड़ तथा पूंजी लेखे में रू0 38494.21 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी। इसके सापेक्ष पुनरीक्षित आकड़ों के अनुसार कुल रू0 102215.80 करोड़ की कुल प्राप्ति सम्भावित है। समग्र प्राप्ति के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025—2026 में कुल प्राप्ति अनुमानित प्राप्ति से लगभग रू0 1181.05 करोड़ की अधिक प्राप्ति होनी संभावित है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों के प्रमुख स्रोत भारत सरकार से प्राप्त सहायता/ऋण तथा राज्य सरकार के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व हैं। वर्ष 2025—2026 के आय—व्ययक अनुमानों के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में राज्य का अंश, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान/तथा केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद मे वास्तविक ऑकड़ों के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार हैः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2025—2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025—2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	15902.92	15573.41	-329.51	97.93
2—	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	18227.32	18187.52	-39.80	99.78
3—	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1720.00	2150	430.00	125.00
	योगः—	**35850.24**	**35910.93**	**60.69**	**100.17**

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित ऑकड़ों के आधार पर यह इंगित होता है कि भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में वर्ष 2025—2026 के मूल आय—व्ययक में अनुमानित कुल प्राप्ति रू0 15902.92 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक रूप में रू0 15573.41 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 329.51 करोड़ अर्थात रू0 2.07 प्रतिशत कम है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान की मद में रू0 18227.32 करोड़ के सापेक्ष रू0 18187.52 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है जो अनुमानित प्राप्ति से रू0 39.80 करोड़ अर्थात रू0 0.22 प्रतिशत कम है तथा केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में अनुमानित प्राप्ति रू0 1720 करोड़ के सापेक्ष रू0 2150 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 430 करोड़ अधिक है। कुल मिलाकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों में रू0 60.69 करोड़ अधिक प्राप्ति होनी सम्भावित है जो वर्ष 2025—2026 की अनुमानित प्राप्ति से लगभग 0.17 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के कर राजस्व की प्रमुख मदों में न्यूनाधिकतायें निम्न प्रकार थीः–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	होटल प्राप्ति कर	0.09	0.1	0.01	111.11
2—	भू–राजस्व	30.47	20	-10.47	65.64
3—	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	2798.72	2809.3	10.58	100.38
4—	राज्य उत्पाद शुल्क	5059.61	4850	-209.61	95.86
5—	जी0एस0टी0 तथा वैट	13721.91	13594.57	-127.34	99.07
6—	वाहन कर	1604.06	1606	1.94	100.12
7—	विद्युतकर तथा शुल्क	550.07	550.06	-0.01	100.00
8—	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	249.89	250	0.11	100.04
	योगः–	**24014.82**	**23680.03**	**-334.79**	**98.61**

वर्ष 2025–2026 के अनुमानित स्वयं के कर राजस्व रू0 24014.82 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षित ऑकड़ों के अनुसार रू0 23680.03 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि अनुमानित प्राप्ति से रू0 334.79 करोड़ कम है। कर राजस्व में कम प्राप्ति का मुख्य कारण राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत 209.61 करोड़, जी0एस0टी0 तथा वैट के अन्तर्गत 127.34 करोड़ तथा भू राजस्व की मद में रू0 10.47 करोड़ की कम प्राप्ति होनी सम्भावित है। समग्र रूप से राज्य के कर राजस्व की पुनरीक्षित प्राप्ति कुल अनुमानित प्राप्ति के लक्ष्य का 98.61 प्रतिशत होनी संभावित है।

राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियों की न्यूनाधिकतायें निम्नवत् परिलक्षित हो रही हैः–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	<u>राजस्व लेखा</u>				
1—	कर राजस्व	24014.82	23680.03	-334.79	98.61
2—	करेत्तर राजस्व	4395.48	5198.48	803.00	118.27
3—	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	18227.32	18187.52	-39.80	99.78
4—	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	15902.92	15573.41	-329.51	97.93
	राजस्व प्राप्तियाँ	**62540.54**	**62639.44**	**98.90**	**100.16**

राजस्व लेखे की कुल अनुमानित प्राप्ति रू0 62540.54 करोड़ के सापेक्ष कुल पुनरीक्षित प्राप्ति रू0 62639.44 करोड़ हुई है जो अनुमानित प्राप्ति से रू0 98.90 करोड़ अर्थात 0.16 प्रतिशत अधिक है। राजस्व प्राप्ति में जो अन्तर परिलक्षित हो रही है वह मुख्यतः केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के अन्तर्गत लगभग रू0 329.51 करोड़, कर राजस्व के अन्तर्गत लगभग रू0 334.79 करोड़ एवं केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के मद में रू0 39.80 करोड़ की कम प्राप्ति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत लगभग रू0 803.00 करोड़ की अधिक प्राप्ति संभावित है जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाली पेंशन की मद में अनुमानित प्राप्ति रू0 800.00 करोड के सापेक्ष रू0 1600 करोड़ करोड की अधिक प्राप्ति होने के कारण है।

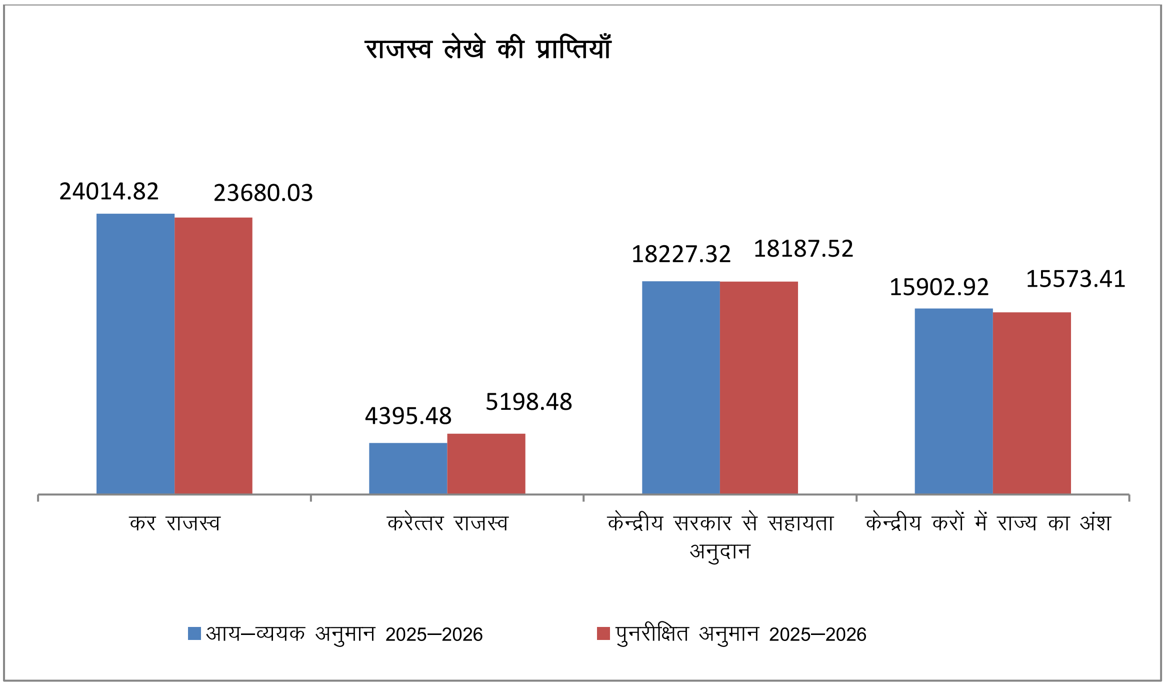

पूँजी लेखे

राज्य सरकार की समस्त पूँजीगत प्राप्तियों की न्यूनाधिकतायें निम्नवत् परिलक्षित हो रही हैः–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	पूँजीलेखा				
1–	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	36750.00	37400.00	650.00	101.77
2–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1720.00	2150.00	430.00	125.00
3–	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	24.21	26.36	2.15	108.88
	पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**38494.21**	**39576.36**	**1082.15**	**102.81**

पूंजी लेखे के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक अनुमानों में रू0 38494.21 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी जिसके सापेक्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार रू0 39576.36 करोड़ की प्राप्ति होनी संभावित है जो कि आय–व्ययक अनुमानों से रू0 1082.15 करोड़ अधिक है। पूंजी लेखे की प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की मद में रू0 650 करोड़ की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु विशेष सहायता (SASCI) भी सम्मिलित है, के अन्तर्गत लगभग रू0 430 करोड़ की अधिक प्राप्ति संभावित है।

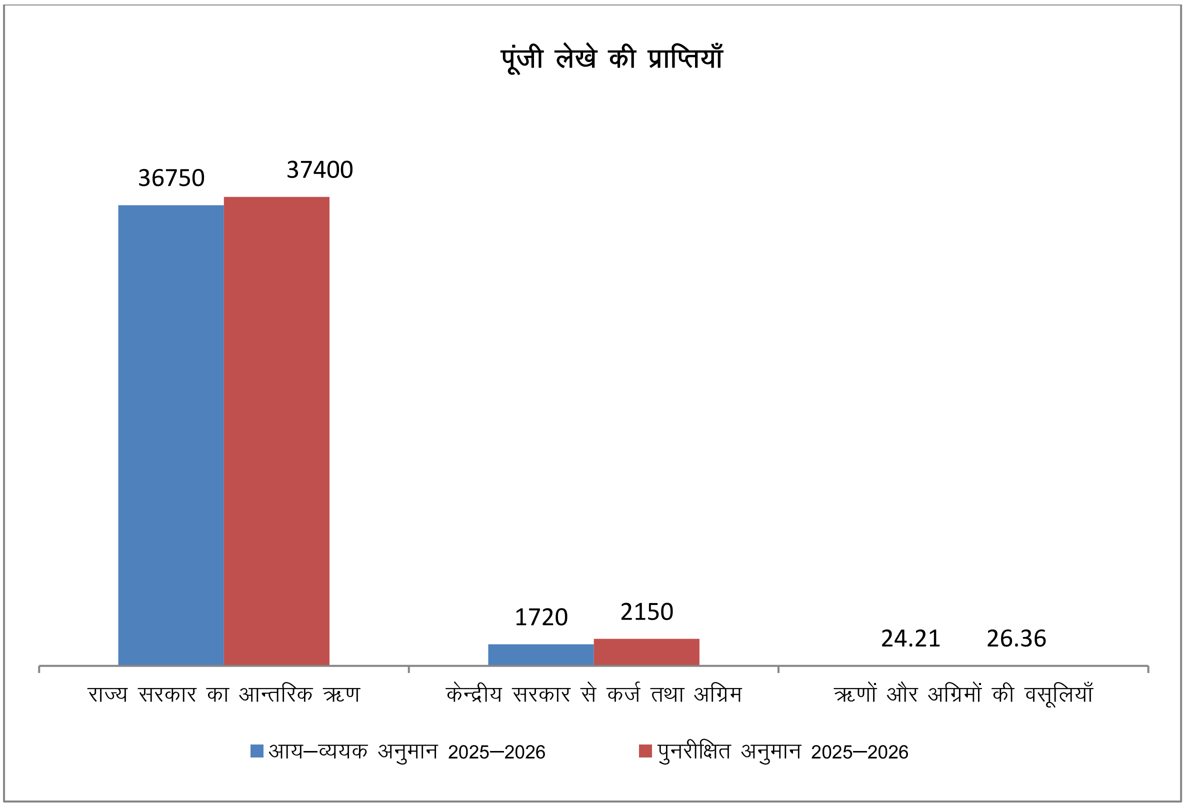

राजस्व लेखे का व्यय

वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक में राजस्व व्यय हेतु रू0 59954.65 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल रू0 60178.38 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। इस प्रकार कुल पुनरीक्षित राजस्व व्यय अनुमानित व्यय से लगभग रू0 223.73 करोड़ का अधिक व्यय होने की संभावना है। संक्षिप्त में स्थिति निम्न प्रकार रहीः–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
1—	सामान्य सेवायें	23469.08	23165.65	-303.43
2—	सामाजिक सेवायें	22943.88	23120.99	177.11
3—	आर्थिक सेवायें	9573.62	10206.76	633.14
4—	सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	3968.07	3684.98	-283.09
	योग–राजस्व लेखा	**59954.65**	**60178.38**	**223.73**

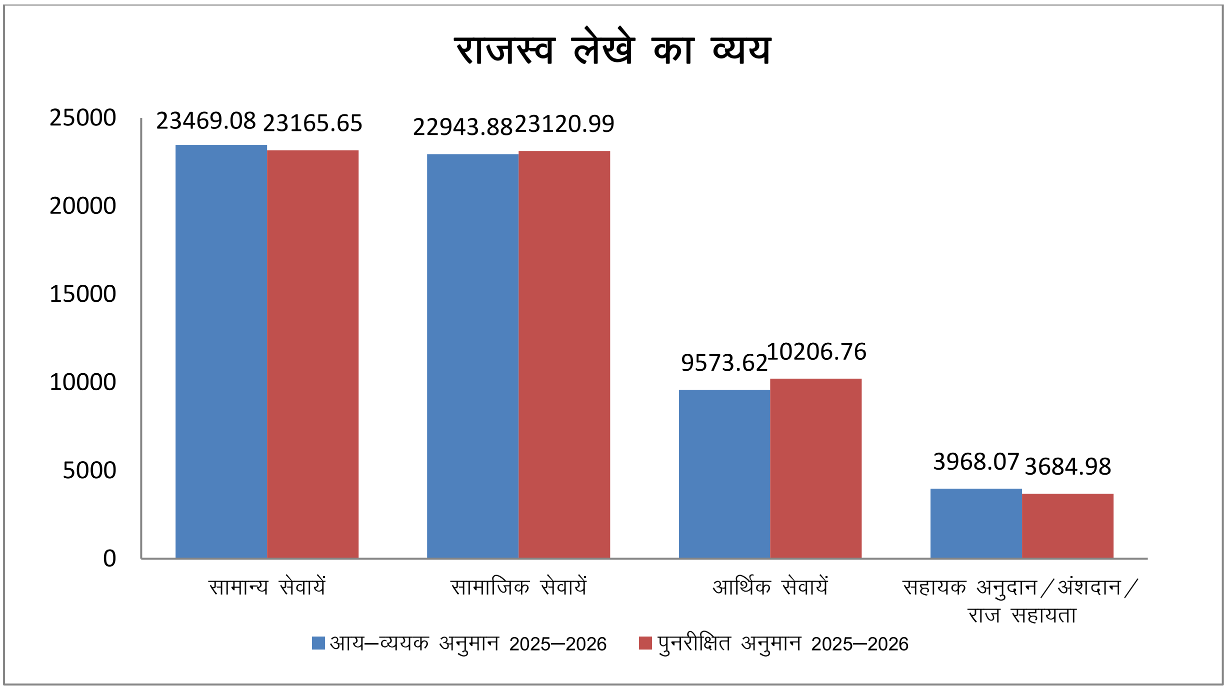

पूँजी लेखे का व्यय

वर्ष 2025–2026 के मूल आय–व्ययक के पूंजी लेखे का व्यय पक्ष में रू0 41220.68 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। इसके सापेक्ष पुनरीक्षित व्यय रू0 41432.66 करोड़ रहा, इस प्रकार समग्र रूप से मूल अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित व्यय रू0 211.99 करोड़ की अधिक प्राप्ति संभावित है जिसका मुख्य कारण सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय की मद के अन्तर्गत लगभग रू0 292.16 करोड़ का अधिक व्यय होना सम्भावित है।

उपर्युक्त व्यय में जो न्यूनाधिकतायें परिलक्षित हो रही है उसे निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है:—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2025—2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025—2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
1—	सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2806.80	3098.96	292.16
2—	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4775.44	4703.50	-71.94
3—	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7180.89	7080.89	-100.00
	योगः—पूँजीगत परिव्यय	**14763.13**	**14883.35**	**120.22**
4—	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	25910.22	25910.22	0.00
5—	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	95.44	95.40	-0.04
	योगः— लोक ऋण	**26005.66**	**26005.62**	**-0.04**
6—	कर्ज तथा उधार	451.89	543.69	91.80
7—	**योगः— पूँजी लेखा**	**41220.68**	**41432.66**	**211.98**

पूँजीगत लेखे की मुख्य मदों में सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अतिरिक्त आंतरिक ऋणों का प्रतिदान, जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित है, भारत सरकार से लिए गये ऋणों का प्रतिदान तथा अन्य कर्ज तथा उधार का प्रतिदान है जिसे निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है:—

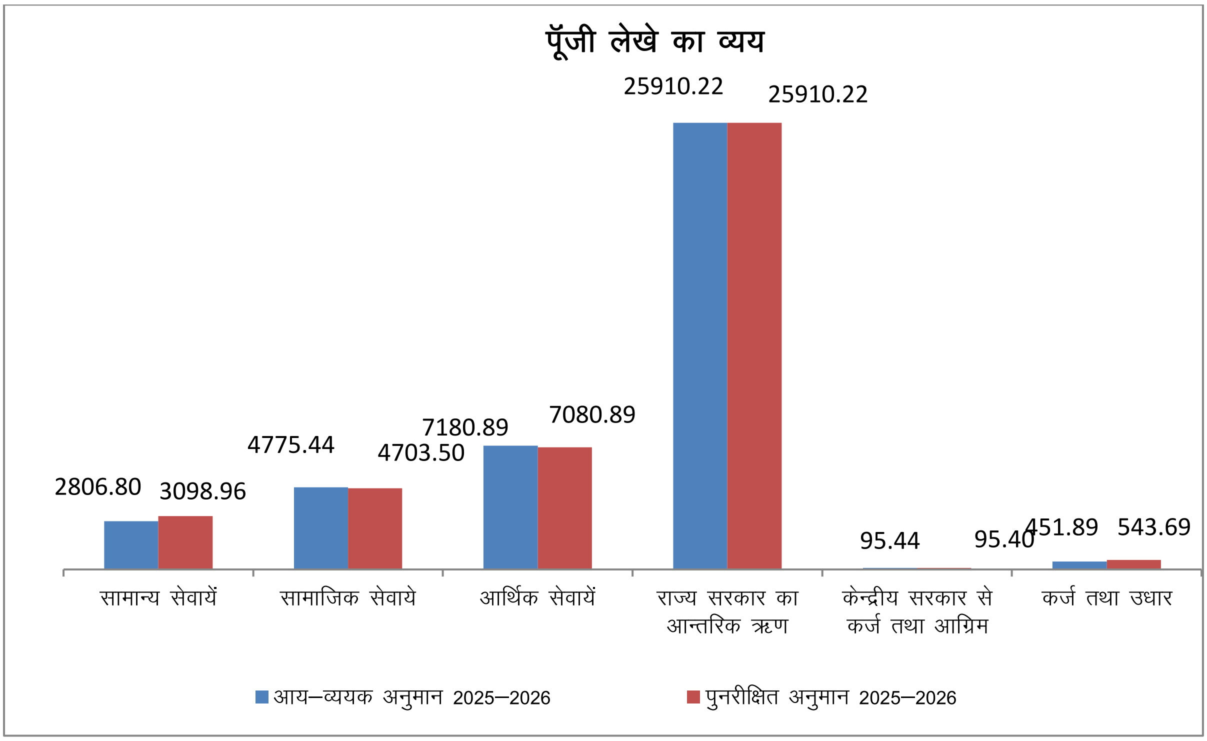

सेक्टरवार स्थितिः—संक्षेप में वित्तीय वर्ष 2025—2026 की राज्य की सेक्टरवार स्थिति की मूल आय—व्ययक अनुमान व पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	आय—व्ययक अनुमान 2025—2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025—2026	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	सामान्य सेवायें	26275.88	26264.61	-11.27	99.96
2—	सामाजिक सेवाये	27719.32	27824.49	105.17	100.38
3—	आर्थिक सेवायें	16754.51	17287.65	533.14	103.18
4—	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3968.07	3684.98	-283.09	92.87
5—	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	25910.22	25910.22	0.00	100.00
6—	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा आग्रिम	95.44	95.4	-0.04	99.96
7—	कर्ज तथा उधार	451.89	543.69	91.80	120.31
	योग व्यय	**101175.33**	**101611.04**	**435.71**	**100.43**

लोक लेखा

मुख्यतः लोक लेखा के अन्तर्गत लेन—देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऋण शोधन निधियों के तथा विभिन्न निकायों के निवेशों और अन्य निवेशों आदि से है जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ट्रस्टी एवं बैंकर के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के अन्तर्गत कुल रू0 200 करोड़ की मूलतः अनुमानित शुद्ध प्राप्ति की तुलना मे वर्ष 2025—2026 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार हुए लेन देनों के फलस्वरूप रू0 100 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति लेखे में प्रदर्शित है।

समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम

मूल आय—व्ययक अनुमानों में वर्ष के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम रू0 109.42 करोड़ धनात्मक अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह रू0 754.76 करोड है तथा प्रारम्भिक शेष रू0 1.19 करोड़ ऋणात्मक लेने पर अन्तिम शेष रू0 553.57 करोड़ अधिशेष अनुमानित है।

आय–व्यय 2026–2027

निम्नलिखित विवरण–पत्र में आय–व्ययक अनुमान 2026–2027 की स्थिति का सारांश दिया गया हैः–

(करोड़ रूपयों में)

मद	आय–व्ययक अनुमान 2025–2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027
1	*2*	*3*	*4*
प्रारम्भिक शेष	70.46	-1.19	753.57
1– समेकित निधि			
(1) प्राप्तियाँ–			
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ	62540.54	62639.44	67525.77
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ (i+ii)			
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ #	38470.00	39550.00	42590.00
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	24.21	26.36	27.35
योग खः– पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**38494.21**	**39576.36**	**42617.35**
योग– (1)– प्राप्तियाँ	**101034.75**	**102215.80**	**110143.12**
(2) व्यय–			
(क) राजस्व लेखे का व्यय	59954.65	60178.38	64989.44
(ख) पूँजी लेखे का व्यय (i+ii+iii)			
(i) पूँजीगत परिव्यय	14763.13	14883.35	18152.73
(ii) ऋणों का प्रतिदान #	26005.66	26005.62	28160.63
(iii) ऋण और अग्रिम	451.89	543.69	400.41
योग– (ख)– पूँजी लेखे का व्यय	**41220.68**	**41432.66**	**46713.77**
योग,(2)–व्यय	**101175.33**	**101611.04**	**111703.21**
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	-140.58	604.76	-1560.09
2– आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	50.00	50.00	150.00
3– लोक लेखा (शुद्ध)	200.00	100.00	675.00
समस्त लेन–देनों का शुद्ध परिणाम	109.42	754.76	-735.09
अंतिम शेष	179.88	753.57	18.48
* महालेखाकार से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार।			

भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की रु0 19500 करोड़ आय–व्ययक अनुमान 2025–26 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2025–26 में तथा रू0 21000 करोड़ की धनराशि आय– व्ययक अनुमान 2026–27 में सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक में कुल रू0 110143.12 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है जिसमें राजस्व लेखे में रू0 67525.77 करोड़ तथा पूँजी लेखे में रू0 42617.35 करोड़ की प्राप्ति सम्भावित है। कुल समग्र प्राप्ति वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों से रू0 7927.32 करोड अर्थात 7.76 प्रतिशत अधिक है। राजस्व पक्ष में पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष रू0 4886.33 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है जबकि पूँजी लेखा की मद में रू0 3044.99 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक अनुमानों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में राज्य का अंश, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान और कर्ज तथा अग्रिम की धनराशि में न्यूनाधिकतायें निम्नवत अनुमानित है।

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1–	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	15573.41	17414.57	1841.16	111.82
2–	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	17687.52	18491.17	303.65	101.67
3–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2150.00	2340.00	190.00	108.84
	योगः–	**35410.93**	**38245.74**	**2334.81**	**106.50**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि केन्द्रीय करों में राज्य के अंश की मद में वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों में रू0 15573.41 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक अनुमानों में रू0 17414.57 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से रू0 1841.16 करोड़ अर्थात 11.82 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान की मद में पुनरीक्षित अनुमानों में रू0 17687.52 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक अनुमानों में रू0 18491.17 करोड़ की प्राप्ति होना सम्भावित है जो कि गत् वर्ष से रू0 303.65 करोड़ (1.67 प्रतिशत अधिक) है। केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में गत् वर्ष के सापेक्ष रू0 190 करोड़ की अधिक प्राप्ति सम्भावित है। समग्र रूप से केन्द्र सरकार से प्राप्तियों की मद में पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष रू0 2334.81 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। यह प्राप्ति पुनरीक्षित अनुमानों से 6.50 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के कर राजस्व की प्रमुख मदों की न्यूनाधिकतायें निम्न प्रकार अनुमानित है।

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025—2026	आय—व्ययक अनुमान 2026—2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1—	होटल प्राप्ति कर	0.10	0.09	-0.01	90.00
2—	भू—राजस्व	20.00	32.47	12.47	162.35
3—	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	2809.30	3091.54	282.24	110.05
4—	राज्य उत्पाद शुल्क	4850.00	5383.76	533.76	111.01
5—	जी0एस0टी0 तथा वैट	13594.57	14851.99	1257.42	109.25
6—	वाहन कर	1606.00	1703.06	97.06	106.04
7—	विद्युतकर तथा शुल्क	550.06	550.07	0.01	100.00
8—	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	250.00	299.89	49.89	119.96
	योगः—	**23680.03**	**25912.87**	**2232.84**	**109.43**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2025—2026 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में 2026—2027 के आय—व्ययक अनुमानों में रू0 2232.84 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 9.43 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में रू0 1257.42 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क की मद में रू0 533.76 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क की मद में रू0 282.24 करोड एवं वाहन कर की मद में रू0 97.06 करोड़ की अधिक प्राप्ति होने के कारण है।

राज्य सरकार के समग्र राजस्व प्राप्तियों की न्यूनाधिकतायें निम्नवत अनुमानित हैः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025—2026	आय—व्ययक अनुमान 2026—2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	राजस्व लेखा				
1—	कर राजस्व	23680.03	25912.86	2232.83	109.43
2—	करेत्तर राजस्व	5198.48	5707.18	508.70	109.79
3—	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	18187.52	18491.17	303.65	101.67
4—	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	15573.41	17414.57	1841.16	111.82
	राजस्व प्राप्तियाँ	**62639.44**	**67525.78**	**4886.34**	**107.80**

राजस्व लेखे में वर्ष 2026—2027 के पुनरीक्षित अनुमानों में रू0 62639.44 करोड़ की प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष 2026—2027 के आय—व्ययक में रू0 67525.78 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से रू0 4886.34 करोड़ अर्थात 7.80 प्रतिशत अधिक है। राजस्व लेखे के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का अंश की मद में रू0 1841.16 करोड़ (11.82 प्रतिशत), कर राजस्व में गत् वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष रू0 2232.83 करोड़ (9.43 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व की मद में रू0 508.70 करोड़ (9.79 प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान की मद में वित्तीय वर्ष 2026—2027 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 303.65 करोड़ (1.67 प्रतिशत) की अधिक प्राप्ति अनुमानित है।

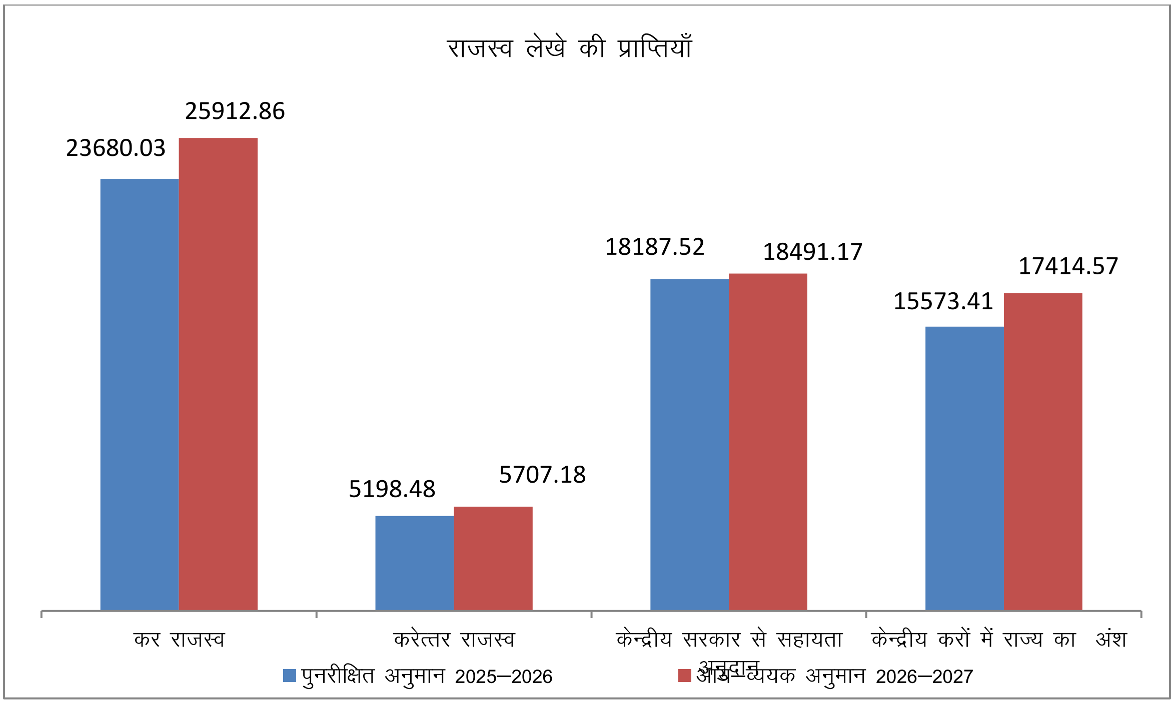

पूँजी लेखे की प्राप्तियाँः— वर्ष 2025—2026 के पूँजी लेखे के पुनरीक्षित अनुमानों में रू0 39576.36 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2026—2027 के आय—व्ययक में रू0 42617.35 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। यह प्राप्ति गत् वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से रू0 3040.99 करोड़ अर्थात 7.68 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार की पूंजी लेखे की न्यूनाधिकतायें निम्नवत अनुमानित हैः—

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
	पूँजीलेखा				
1–	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	37400.00	40250.00	2850.00	107.62
2–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2150.00	2340.00	190.00	108.84
3–	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	26.36	27.35	0.99	103.76
	पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**39576.36**	**42617.35**	**3040.99**	**107.68**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण की मद में गत् वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष रू0 2850 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की मद में गत् वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष रू0 190 करोड़ की वृद्धि तथा ऋणों और अग्रिमों की प्राप्तियों के अन्तर्गत रू0 0.99 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। समग्र रूप से पूंजीगत प्राप्तियों में पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2026–2027 में लगभग 7.68 प्रतिशत की अधिक प्राप्ति सम्भावित है।

राजस्व लेखे का व्यय

वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व व्यय रू0 60178.38 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक में राजस्व लेखे का व्यय रू0 64989.45 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक में लगभग रू0 4811.07 करोड़ का अधिक व्यय अनुमानित है।

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
1–	सामान्य सेवायें	23165.65	27658.13	4492.48
2–	सामाजिक सेवायें	23120.99	23551.11	430.12
3–	आर्थिक सेवायें	10206.76	10475.21	268.45
4–	सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	3684.98	3305.00	-379.98
	योग–राजस्व लेखा	**60178.38**	**64989.45**	**4811.07**

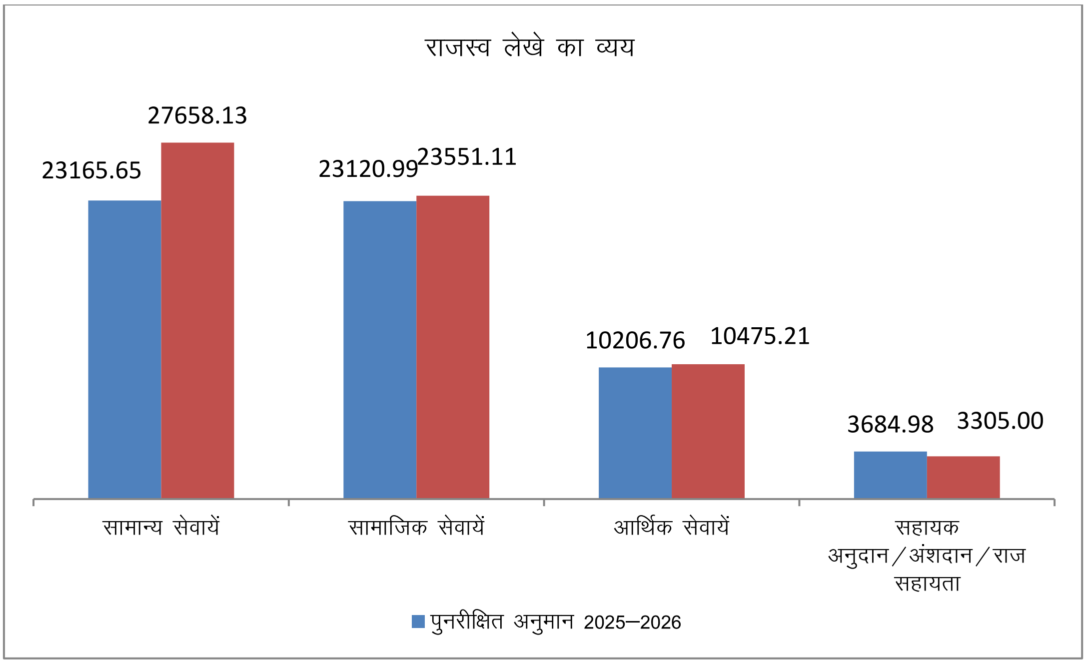

पूँजी लेखे का व्यय

वर्ष 2025–2026 के पुनरीक्षित अनुमानों में पूंजी लेखे के व्यय में रू0 41432.66 करोड़ का व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026–2027 में कुल रू0 46713.77 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार पूंजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में गत वर्ष के सापेक्ष कुल रू0 5281.11 करोड़ का अधिक व्यय अनुमानित है। इस स्थिति को निम्नांकित तालिका द्वारा दर्शाया गया है:–

(करोड़ रूपयें में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -
1–	सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3098.96	3702.64	603.68
2–	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4703.50	5575.12	871.62
3–	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7080.89	8874.97	1794.08
	योगः–पूँजीगत परिव्यय	**14883.35**	**18152.73**	**3269.38**
4–	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	25910.22	28060.22	2150.00
5–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	95.40	100.41	5.01
	योगः– लोक ऋण	**26005.62**	**28160.63**	**2155.01**
6–	कर्ज तथा उधार	543.69	400.41	-143.28
	योगः– पूँजी लेखा	**41432.66**	**46713.77**	**5281.11**

वर्ष 2026–2027 के कुल व्यय का आय–व्ययक अनुमान रू0 111703.21 करोड़ का है, जिसमें पूंजीगत व्यय रू0 46713.77 करोड़ अनुमानित है जो कुल व्यय का 41.82 प्रतिशत है जिसमें से रू0 21000 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये अर्थोपाय के प्रतिदान से सम्बंधित है। यदि पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय में से अर्थोपाय अग्रिम के प्रतिदान की धनराशि (रू0 21000 करोड़) को हटा दिया जाये तो पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 28.35 प्रतिशत होता है। पूंजीगत लेखे की मुख्य मदों में सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अतिरिक्त आंतरिक ऋणों का प्रतिदान है जिसको निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है:–

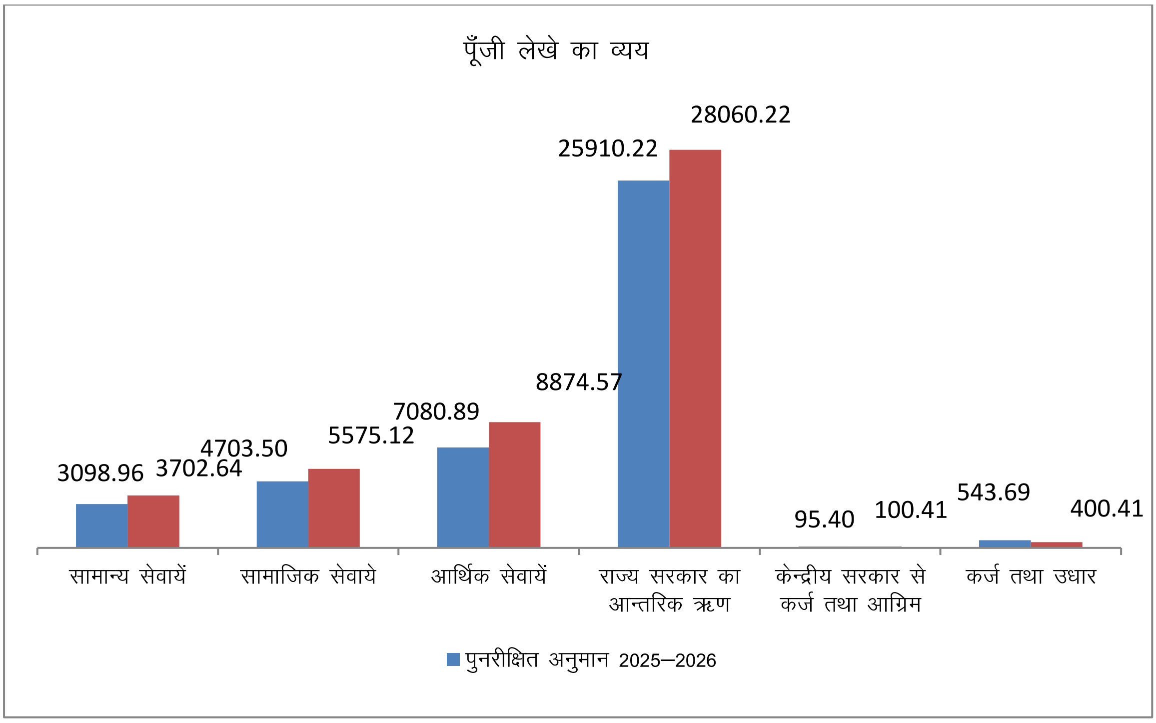

सेक्टरवार स्थिति:–संक्षेप में राज्य की सेक्टरवार स्थिति का वित्तीय वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक अनुमानों के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:–

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2025–2026	आय–व्ययक अनुमान 2026–2027	न्यूनाधिकताएं वृद्धि +/कमी -	प्रतिशत
1–	सामान्य सेवायें	26264.61	31360.77	5096.16	119.40
2–	सामाजिक सेवाये	27824.49	29126.23	1301.74	104.68
3–	आर्थिक सेवायें	17287.65	19350.18	2062.53	111.93
4–	सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	3684.98	3305.00	-379.98	89.69
5–	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	25910.22	28060.22	2150.00	108.30
6–	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा आग्रिम	95.40	100.41	5.01	105.25
7–	कर्ज तथा उधार	543.69	400.41	-143.28	73.65
	योग व्यय	**101611.04**	**111703.22**	**10092.18**	**109.93**

लोक लेखा

मुख्यतः लोक लेखा के अन्तर्गत लेन–देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऋण शोधन निधियों तथा विभिन्न निकायों के निवेशों और अन्य निवेशों आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ट्रस्टी एवं बैंकर के रूप में कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2026–2027 में लोक लेखे में कुल रू0 675.00 करोड की प्राप्ति अनुमानित है।

समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम

आय–व्ययक अनुमानों में वर्ष के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम रू0 753.57 करोड़ अधिशेष अनुमानित है तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू0 18.48 करोड़ अधिशेष होना सम्भावित है।

****

परिशिष्टों का विवरण

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट–1

(लाख रू० में)

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**	1330209	1536644	1579096	1611420	1628381	1694580	1916830	1989856	2338841	2691741	2660297	2501073	2581868	2901374	2950634
1.1	कृषि	764026	901730	850163	862131	834909	858452	1016543	1006270	1184536	1281998	1311638	973234	1108964	1165298	1119190
1.2	पशुपालन	287788	313744	351373	400880	450418	490497	534367	589272	626905	630203	659063	701232	750197	863638	910341
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	274833	317354	373063	343612	337931	340194	359874	387628	520117	772561	681946	816010	709082	856544	903177
1.4	मत्स्य पालन	3562	3815	4497	4797	5123	5437	6045	6687	7283	6979	7649	10597	13626	15894	17926
2	खनन तथा उत्खनन	186083	205725	354844	236697	202791	253822	302687	341086	286113	222394	295665	328394	331526	371527	389786
	योग प्राथमिक क्षेत्र	**1516291**	**1742369**	**1933940**	**1848117**	**1831172**	**1948402**	**2219517**	**2330942**	**2624954**	**2914135**	**2955962**	**2829467**	**2913394**	**3272901**	**3340420**
3	विनिर्माण	4365135	5082899	5440406	5874343	6369703	7031813	7597807	7786975	7743996	6721580	6745521	7226902	8010401	8483132	9136403
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	398079	416111	375058	431295	556863	579225	667288	714205	741333	761755	902313	824850	859957	958163	1094260
5	निर्माण	883766	936950	1242406	1297607	1313471	1416292	1592085	1786955	1801386	1773944	2411833	3531742	3135139	3430242	3679486
	योग द्वितीयक क्षेत्र	**5646980**	**6435960**	**7057870**	**7603245**	**8240036**	**9027329**	**9857180**	**10288134**	**10286715**	**9257278**	**10059666**	**11583494**	**12005497**	**12871537**	**13910149**
	औद्योगिक क्षेत्र	**5833063**	**6641685**	**7412715**	**7839943**	**8442828**	**9281152**	**10159867**	**10629220**	**10572828**	**9479672**	**10355332**	**11911888**	**12337024**	**13243063**	**14299935**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	691812	811658	934918	1066333	1279864	1300141	1239123	1316962	1527023	1633706	2071100	2387300	2620817	2908826	3190685
6.1	रेलवे	14143	16517	17200	21899	26150	28697	29326	31272	45468	42771	26206	44458	50595	59114	65691
6.2	सड़क परिवहन	219140	261069	289314	309208	337008	382272	413458	443800	475169	393642	605409	667206	703859	763945	828059
6.3	भंडारण	579	678	735	646	712	1437	191	2265	1120	712	1112	1066	1247	1459	1706
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	457950	533394	627669	734580	915994	887736	796148	839625	1005266	1196581	1438373	1674569	1865116	2084309	2295229
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	1192896	1408869	1613981	1788267	2038605	2427074	2852400	3347891	3689725	2925294	3838870	4956889	5415016	5937899	6544573
8	वित्तीय सेवायें	293318	320421	359123	402327	447958	453355	531140	590718	643719	755033	731616	889093	1136049	1251926	1393393
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	588825	671182	739177	814718	843880	911476	1009473	1107176	1162775	1177717	1346078	1527736	1648261	1979762	2256702
10	लोक प्रशासन	404304	315475	483906	609171	666095	758235	942142	904938	845292	967103	1095936	1154119	1222957	1385842	1559494
11	अन्य सेवायें	498856	668947	827478	916516	1011892	1157852	1385774	1449594	1565015	1588028	1801231	1892108	2071316	2348997	2624607
	योग तृतीयक क्षेत्र	**3670011**	**4196552**	**4958583**	**5597331**	**6288295**	**7008133**	**7960052**	**8717279**	**9433548**	**9046881**	**10884831**	**12807244**	**14114416**	**15813252**	**17569454**
12	**कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन**	**10833282**	**12374880**	**13950393**	**15048694**	**16359503**	**17983865**	**20036749**	**21336355**	**22345217**	**21218294**	**23900460**	**27220206**	**29033308**	**31957690**	**34820024**
13	उत्पाद कर	919682	1067367	1217857	1392111	1633720	1757054	2232084	1890978	1824252	1751462	2141050	2519203	2835269	3147590	3614842
14	उत्पाद सब्सिडी	220207	280963	260811	296913	276921	228434	246620	194592	243181	408080	544860	479543	371308	307149	245950
15	**राज्य सकल घरेलू उत्पाद (12+13-14)**	**11532757**	**13161284**	**14907439**	**16143892**	**17716302**	**19512485**	**22022213**	**23032741**	**23926288**	**22561676**	**25496649**	**29259866**	**31497269**	**34798131**	**38188915**
16	जनसंख्या ('00)	101640	102980	104320	105650	106990	108300	109590	110880	112170	113460	114680	115870	117060	118240	119430
17	प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (रू0 में)	**113467**	**127804**	**142901**	**152805**	**165588**	**180171**	**200951**	**207727**	**213304**	**198851**	**222329**	**252523**	**269069**	**294301**	**319760**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

स्थायी भावों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट–2

(लाख रू० में)

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**	1330209	1355632	1339655	1335730	1312630	1366211	1367992	1405076	1467873	1489996	1510230	1409314	1471034	1466198	1492540
1.1	कृषि	764026	772456	725587	715033	652182	692683	698175	691749	716739	754278	777668	654603	692747	659112	661918
1.2	पशुपालन	287788	308814	328325	333707	356442	366563	374376	383036	390993	378060	387062	397674	408665	425260	435600
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	274834	270748	282085	283253	300161	302972	291186	325688	355374	352670	339841	350231	361343	372079	384030
1.4	मत्स्य पालन	3562	3614	3658	3737	3846	3994	4255	4603	4768	4988	5660	6807	8279	9746	10991
2	खनन तथा उत्खनन	186083	181554	296810	218174	191875	255701	325180	311424	288049	230545	209796	178474	164080	181406	192497
	योग प्राथमिक क्षेत्र	**1516292**	**1537186**	**1636465**	**1553903**	**1504505**	**1621912**	**1693172**	**1716500**	**1755922**	**1720541**	**1720026**	**1587788**	**1635113**	**1647604**	**1685037**
3	विनिर्माण	4365135	4869750	5050710	5288415	5796017	6345624	6772170	6733288	6645436	5654961	5241092	5388456	5995452	6283611	6725373
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	398079	427949	431792	466887	505301	540975	604845	642989	665978	627331	728035	776687	829378	904691	952736
5	निर्माण	883766	852422	1080655	1094865	1092495	1213594	1284062	1354812	1355760	1298723	1579513	2153101	1921967	2102695	2255488
	योग द्वितीयक क्षेत्र	**5646980**	**6150122**	**6563157**	**6850167**	**7393813**	**8100193**	**8661078**	**8731090**	**8667173**	**7581015**	**7548641**	**8318244**	**8746797**	**9290997**	**9933596**
	औद्योगिक क्षेत्र	**5833063**	**6331676**	**6859968**	**7068341**	**7585688**	**8355894**	**8986258**	**9042514**	**8955222**	**7811560**	**7758437**	**8496718**	**8910877**	**9472404**	**10126093**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	691812	754202	823750	928596	1110298	1106665	1043747	1049469	1188573	1098541	1280563	1400607	1500775	1605198	1735719
6.1	रेलवे	14143	15801	16099	19208	22249	22892	22107	23131	27622	21681	14378	25624	28692	31815	34734
6.2	सड़क परिवहन	219140	242449	254611	269368	292618	326170	349707	354728	391071	266352	374748	391501	402883	421755	450326
6.3	भंडारण	579	629	647	563	618	1226	161	1810	857	482	686	622	709	799	921
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	457950	495323	552393	639456	794813	756376	671772	669799	769023	810026	890751	982859	1068490	1150828	1249738
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	1192896	1306187	1418883	1518569	1691788	1955353	2222555	2480838	2646356	1931675	2388250	2913445	3048737	3219555	3417180
8	वित्तीय सेवायें	293318	316227	346284	384652	415169	421254	457372	471881	491657	573307	518391	552895	691555	741347	860996
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	588825	639825	625463	717356	734252	790987	848212	914525	993820	974834	1068179	1137413	1181762	1260772	1349454
10	लोक प्रशासन	404304	287555	413007	492779	541212	594707	704436	654718	577913	655458	728775	753802	770343	865227	970920
11	अन्य सेवायें	498856	619019	727454	778844	839745	935185	1079778	1074171	1122464	1048631	1115433	1106350	1159573	1265484	1361076
	योग तृतीयक क्षेत्र	**3670011**	**3923016**	**4354841**	**4820796**	**5332464**	**5804150**	**6356100**	**6645602**	**7020784**	**6282447**	**7099590**	**7864511**	**8352744**	**8957582**	**9695346**
12	**कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन**	**10833284**	**11610323**	**12554464**	**13224866**	**14230782**	**15526255**	**16710349**	**17093191**	**17443879**	**15584003**	**16368257**	**17770544**	**18734655**	**19896183**	**21313979**
13	उत्पाद कर	919682	1024286	1098486	1163827	1279978	1441287	1590940	1670976	1720000	1394341	1468372	1638048	1755804	1849370	1949701
14	उत्पाद सब्सिडी	220207	263604	234713	260929	240888	197217	205677	155893	189840	299719	373148	313067	239598	191225	150551
15	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (12+13-14)**	**11532759**	**12371005**	**13418237**	**14127764**	**15269872**	**16770325**	**18095612**	**18608274**	**18974039**	**16678625**	**17463481**	**19095525**	**20250860**	**21554328**	**23113129**
16	जनसंख्या ('00)	101640	102980	104320	105650	106990	108300	109590	110880	112170	113460	114680	115870	117060	118240	119430
17	प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद (रू0 में)	**113467**	**120130**	**128626**	**133722**	**142722**	**154851**	**165121**	**167824**	**169154**	**147000**	**152280**	**164801**	**172996**	**182293**	**193529**
		Growth Rate	**7.27**	**8.47**	**5.29**	**8.08**	**9.83**	**7.90**	**2.83**	**1.97**	**-12.10**	**4.71**	**9.35**	**6.05**	**6.44**	**7.23**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट–3

(लाख रू० में)

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**	1213170	1401551	1419465	1432575	1436512	1487936	1695788	1751565	2079595	2404110	2331787	2157103	2209987	2496508	2509781
1.1	कृषि	654767	775511	700763	692967	652381	660791	805380	778793	937238	1009004	998953	647710	755086	780597	700981
1.2	पशुपालन	283437	308835	345879	395013	444688	484616	528121	582477	620061	623375	651137	692249	740780	853552	899525
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	271823	313817	368801	340250	334778	337535	356682	384082	515531	765282	674613	807324	701445	847528	892561
1.4	मत्स्य पालन	3143	3387	4022	4345	4665	4994	5604	6213	6764	6449	7083	9819	12677	14831	16714
2	खनन तथा उत्खनन	154792	161095	256450	200940	169672	213134	248671	287658	235431	174869	246982	277895	278300	315876	333845
	योग प्राथमिक क्षेत्र	**1367961**	**1562646**	**1675915**	**1633515**	**1606184**	**1701070**	**1944459**	**2039223**	**2315025**	**2578978**	**2578769**	**2434998**	**2488287**	**2812385**	**2843626**
3	विनिर्माण	3741191	4442738	4790836	5242331	5740501	6419260	6965287	7150837	7086507	6075824	6011948	5967064	6695349	6667554	6935523
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	275878	281177	247257	280188	374982	385802	463359	482789	514697	512032	610956	547508	612907	730546	888026
5	निर्माण	841393	887346	1166721	1221319	1235382	1329432	1460067	1668761	1665487	1618749	2230983	3204990	2845771	3040703	3244807
	योग द्वितीयक क्षेत्र	**4858462**	**5611261**	**6204814**	**6743838**	**7350864**	**8134493**	**8888712**	**9302387**	**9266690**	**8206605**	**8853887**	**9719562**	**10154027**	**10438802**	**11068355**
	औद्योगिक क्षेत्र	**5013254**	**5772356**	**6461265**	**6944779**	**7520537**	**8347628**	**9137383**	**9590045**	**9502121**	**8381473**	**9100869**	**9997457**	**10432326**	**10754679**	**11402200**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	527892	636477	734391	844065	1018350	1012300	919433	925322	1056872	1093692	1470945	1702750	1854473	2047068	2270718
6.1	रेलवे	9539	11306	10973	13349	16823	16357	14623	12601	18363	15192	9823	15854	16704	18176	65691
6.2	सड़क परिवहन	191141	229151	249720	268785	293319	328239	351728	366474	383348	298266	500478	550684	576975	624132	673275
6.3	भंडारण	496	587	622	544	598	1207	160	2065	1015	639	984	935	1079	1264	1467
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	326716	395433	473076	561387	707610	666498	552922	544183	654146	779595	959660	1135277	1259715	1403496	1530285
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	1136811	1344055	1542921	1708606	1933089	2305561	2727162	3176931	3498951	2714531	3578481	4623976	5053089	5511689	6386639
8	वित्तीय सेवायें	288686	314745	353151	394906	438799	443352	519771	577273	629057	735415	712352	868252	1109693	1221518	1358236
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	458980	519027	563330	619845	643928	697363	778264	848885	892013	890729	1015937	1154921	1254832	1550029	1795261
10	लोक प्रशासन	396607	307267	378633	486807	540161	620647	772522	747178	702942	801708	904437	950930	1006838	1156251	1315442
11	अन्य सेवायें	461087	622245	771210	852108	939549	1074345	1284386	1333070	1432256	1436733	1613733	1673811	1826272	2068816	2307174
	योग तृतीयक क्षेत्र	**3270063**	**3743816**	**4343636**	**4906336**	**5513877**	**6153568**	**7001539**	**7608660**	**8212091**	**7672808**	**9295884**	**10974640**	**12105198**	**13555371**	**15433470**
12	**कुल निवल राज्य मूल्य वर्धन**	**9496486**	**10917722**	**12224365**	**13283690**	**14470925**	**15989132**	**17834710**	**18950270**	**19793807**	**18458391**	**20728539**	**23129200**	**24747511**	**26806557**	**29345451**
13	उत्पाद कर	919682	1067367	1217857	1392111	1633720	1757054	2232084	1890978	1824252	1751462	2141050	2519203	2835269	3147590	3614842
14	उत्पाद सब्सिडी	220207	280963	260811	296913	276921	228434	246620	194592	243181	408080	544860	479543	371308	307149	245950
15	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद (12+13-14)**	**10195961**	**11704126**	**13181411**	**14378888**	**15827724**	**17517752**	**19820174**	**20646656**	**21374878**	**19801773**	**22324729**	**25168861**	**27211472**	**29646999**	**32714342**
16	जनसंख्या ('00)	101640	102980	104320	105650	106990	108300	109590	110880	112170	113460	114680	115870	117060	118240	119430
17	प्रति व्यक्ति राज्य निवल घरेलू उत्पाद (रू0 में)	**100314**	**113654**	**126356**	**136099**	**147936**	**161752**	**180858**	**186207**	**190558**	**174526**	**194670**	**217216**	**232457**	**250736**	**273921**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

स्थायी भावों (2011–12) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट–4

(लाख रू० में)

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**	1213170	1230430	1202748	1189556	1161852	1209501	1204443	1233935	1287877	1298018	1303257	1187873	1234101	1214647	1224819
1.1	कृषि	654767	655489	597741	577197	509725	543819	542775	529012	545956	573273	581246	444522	466937	419432	406914
1.2	पशुपालन	283437	304267	323455	328656	351308	361407	369226	377775	385717	372931	381820	392218	402935	419442	429678
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	271824	267464	278311	280365	297375	300677	288581	322956	351874	347263	334981	344916	356694	366848	378151
1.4	मत्स्य पालन	3143	3210	3241	3338	3445	3599	3861	4190	4330	4551	5210	6217	7534	8926	10076
2	खनन तथा उत्खनन	154792	139063	206698	187381	164158	222202	281833	269919	249885	195885	175997	145055	129864	146864	159028
	योग प्राथमिक क्षेत्र	**1367962**	**1369493**	**1409446**	**1376936**	**1326010**	**1431703**	**1486276**	**1503854**	**1537762**	**1493902**	**1479254**	**1332929**	**1363965**	**1361511**	**1383847**
3	विनिर्माण	3741191	4229589	4401140	4719555	5233268	5796529	6216712	6193203	6097016	5123892	4672446	4552310	5122114	5371426	5772614
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	275878	297896	311918	331812	342376	367668	426527	447030	475209	421985	505903	576124	652936	727187	774744
5	निर्माण	841393	802818	1004970	1024113	1019679	1130722	1158719	1245750	1230515	1155713	1420938	1934994	1728630	1880535	2011743
	योग द्वितीयक क्षेत्र	**4858462**	**5330304**	**5718028**	**6075480**	**6595323**	**7294919**	**7801958**	**7885984**	**7802740**	**6701590**	**6599288**	**7063428**	**7503680**	**7979149**	**8559101**
	औद्योगिक क्षेत्र	**5013254**	**5469367**	**5924727**	**6262861**	**6759481**	**7517121**	**8083790**	**8155903**	**8052624**	**6897475**	**6775284**	**7208483**	**7633544**	**8126012**	**8718128**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	527892	583939	632374	732711	884775	857488	770741	724018	807670	668885	820326	900003	947222	986787	1069959
6.1	रेलवे	9539	10914	12480	11772	14133	12302	9895	8267	6515	733	2654	6018	5684	4901	34717
6.2	सड़क परिवहन	191141	211896	217966	231720	251869	276678	294507	286750	314235	191264	295900	313312	318045	334399	357912
6.3	भंडारण	496	543	547	474	517	1023	136	1652	774	426	597	538	600	676	772
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	326716	360586	401381	488744	618256	567484	466203	427350	486145	476463	521174	580135	622893	646811	676558
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	1136811	1245014	1354072	1448615	1597423	1847746	2116386	2342519	2493739	1767044	2202757	2696143	2814094	2955641	3115464
8	वित्तीय सेवायें	288686	310724	340602	378073	407217	412502	447682	460851	479839	557630	503767	537723	672596	720049	837023
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	458980	498602	469308	551176	562276	610698	663730	719231	790458	765204	848385	908394	942052	1011091	1088735
10	लोक प्रशासन	396607	279587	314819	382108	426542	469717	554772	520531	458904	520031	584278	610202	619617	709565	813822
11	अन्य सेवायें	461087	574504	675328	722169	775695	861452	993672	979811	1016236	929912	980821	959782	996667	1083001	1157907
	योग तृतीयक क्षेत्र	**3270063**	**3492371**	**3786503**	**4214852**	**4653928**	**5059602**	**5546983**	**5746960**	**6046845**	**5208707**	**5940334**	**6612247**	**6992247**	**7466135**	**8082910**
12	**कुल निवल राज्य मूल्य वर्धन**	**9496488**	**10192167**	**10913978**	**11667268**	**12575261**	**13786224**	**14835216**	**15136798**	**15387346**	**13404199**	**14018875**	**15008603**	**15859892**	**16806795**	**18025858**
13	उत्पाद कर	919682	1024286	1098486	1163827	1279978	1441287	1590940	1670976	1720000	1394341	1468372	1638048	1755804	1849370	1949701
14	उत्पाद सब्सिडी	220207	263604	234713	260929	240888	197217	205677	155893	189840	299719	373148	313067	239598	191225	150551
15	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद (12+13-14)**	**10195963**	**10952849**	**11777751**	**12570166**	**13614351**	**15030294**	**16220479**	**16651881**	**16917506**	**14498822**	**15114099**	**16333584**	**17376097**	**18464940**	**19825008**
16	जनसंख्या ('00)	101640	102980	104320	105650	106990	108300	109590	110880	112170	113460	114680	115870	117060	118240	119430
17	प्रति व्यक्ति राज्य निवल घरेलू उत्पाद (रू0 में)	**100314**	**106359**	**112900**	**118979**	**127249**	**138784**	**148011**	**150179**	**150820**	**127788**	**131794**	**140965**	**148438**	**156165**	**165997**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (%)

परिशिष्ट–5

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**		15.52	2.76	2.05	1.05	4.07	13.12	3.81	17.54	15.09	-1.17	-5.99	3.23	12.38	1.70
1.1	कृषि		18.02	-5.72	1.41	-3.16	2.82	18.42	-1.01	17.72	8.23	2.31	-25.80	13.95	5.08	-3.96
1.2	पशुपालन		9.02	11.99	14.09	12.36	8.90	8.94	10.27	6.39	0.53	4.58	6.40	6.98	15.12	5.41
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना		15.47	17.55	-7.89	-1.65	0.67	5.79	7.71	34.18	48.54	-11.73	19.66	-13.10	20.80	5.44
1.4	मत्स्य पालन		7.10	17.87	6.67	6.79	6.14	11.19	10.61	8.92	-4.18	9.60	38.55	28.58	16.65	12.78
2	खनन तथा उत्खनन		10.56	72.48	-33.30	-14.32	25.16	19.25	12.69	-16.12	-22.27	32.95	11.07	0.95	12.07	4.91
	योग प्राथमिक क्षेत्र		**14.91**	**10.99**	**-4.44**	**-0.92**	**6.40**	**13.91**	**5.02**	**12.61**	**11.02**	**1.44**	**-4.28**	**2.97**	**12.34**	**2.06**
3	विनिर्माण		16.44	7.03	7.98	8.43	10.39	8.05	2.49	-0.55	-13.20	0.36	7.14	10.84	5.90	7.70
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं		4.53	-9.87	14.99	29.11	4.02	15.20	7.03	3.80	2.75	18.45	-8.58	4.26	11.42	14.20
5	निर्माण		6.02	32.60	4.44	1.22	7.83	12.41	12.24	0.81	-1.52	35.96	46.43	-11.23	9.41	7.27
	योग द्वितीयक क्षेत्र		**13.97**	**9.66**	**7.73**	**8.38**	**9.55**	**9.19**	**4.37**	**-0.01**	**-10.01**	**8.67**	**15.15**	**3.64**	**7.21**	**8.07**
	औद्योगिक क्षेत्र		**13.86**	**11.61**	**5.76**	**7.69**	**9.93**	**9.47**	**4.62**	**-0.53**	**-10.34**	**9.24**	**15.03**	**3.57**	**7.34**	**7.98**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		17.32	15.19	14.06	20.02	1.58	-4.69	6.28	15.95	6.99	26.77	15.27	9.78	10.99	9.69
6.1	रेलवे		16.79	4.14	27.32	19.41	9.74	2.19	6.64	45.40	-5.93	-38.73	69.65	13.80	16.84	11.13
6.2	सड़क परिवहन		19.13	10.82	6.88	8.99	13.43	8.16	7.34	7.07	-17.16	53.80	10.21	5.49	8.54	8.39
6.3	भंडारण		17.10	8.46	-12.11	10.19	101.77	-86.73	1087.44	-50.56	-36.39	56.13	-4.13	17.02	16.94	16.94
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		16.47	17.67	17.03	24.70	-3.09	-10.32	5.46	19.73	19.03	20.21	16.42	11.38	11.75	10.12
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह		18.10	14.56	10.80	14.00	19.06	17.52	17.37	10.21	-20.72	31.23	29.12	9.24	9.66	10.22
8	वित्तीय सेवायें		9.24	12.08	12.03	11.34	1.20	17.16	11.22	8.97	17.29	-3.10	21.52	27.78	10.20	11.30
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें		13.99	10.13	10.22	3.58	8.01	10.75	9.68	5.02	1.29	14.30	13.50	7.89	20.11	13.99
10	लोक प्रशासन		-21.97	53.39	25.89	9.34	13.83	24.25	-3.95	-6.59	14.41	13.32	5.31	5.96	13.32	12.53
11	अन्य सेवायें		34.10	23.70	10.76	10.41	14.42	19.68	4.61	7.96	1.47	13.43	5.05	9.47	13.41	11.73
	योग तृतीयक क्षेत्र		**14.35**	**18.16**	**12.88**	**12.34**	**11.45**	**13.58**	**9.51**	**8.22**	**-4.10**	**20.32**	**17.66**	**10.21**	**12.04**	**11.11**
12	**कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन**		**14.23**	**12.73**	**7.87**	**8.71**	**9.93**	**11.42**	**6.49**	**4.73**	**-5.04**	**12.64**	**13.89**	**6.66**	**10.07**	**8.96**
13	उत्पाद कर		16.06	14.10	14.31	17.36	7.55	27.04	-15.28	-3.53	-3.99	22.24	17.66	12.55	11.02	14.84
14	उत्पाद सब्सिडी		27.59	-7.17	13.84	-6.73	-17.51	7.96	-21.10	24.97	67.81	33.52	-11.99	-22.57	-17.28	-19.92
15	**राज्य सकल घरेलू उत्पाद (12+13-14)**		**14.12**	**13.27**	**8.29**	**9.74**	**10.14**	**12.86**	**4.59**	**3.88**	**-5.70**	**13.01**	**14.76**	**7.65**	**10.48**	**9.74**
16	जनसंख्या ('00)		1.32	1.30	1.27	1.27	1.22	1.19	1.18	1.16	1.15	1.08	1.04	1.03	1.01	1.01
17	प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (रू0 में)		**12.64**	**11.81**	**6.93**	**8.37**	**8.81**	**11.53**	**3.37**	**2.68**	**-6.78**	**11.81**	**13.58**	**6.55**	**9.38**	**8.65**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

स्थायी भावों (2011—12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (%)

परिशिष्ट–6

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**		1.91	-1.18	-0.29	-1.73	4.08	0.13	2.71	4.47	1.51	1.36	-6.68	4.38	-0.33	1.80
1.1	कृषि		1.10	-6.07	-1.45	-8.79	6.21	0.79	-0.92	3.61	5.24	3.10	-15.82	5.83	-4.86	0.43
1.2	पशुपालन		7.31	6.32	1.64	6.81	2.84	2.13	2.31	2.08	-3.31	2.38	2.74	2.76	4.06	2.43
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना		-1.49	4.19	0.41	5.97	0.94	-3.89	11.85	9.11	-0.76	-3.64	3.06	3.17	2.97	3.21
1.4	मत्स्य पालन		1.46	1.22	2.16	2.90	3.85	6.54	8.18	3.59	4.62	13.46	20.27	21.62	17.71	12.78
2	खनन तथा उत्खनन		-2.43	63.48	-26.49	-12.05	33.26	27.17	-4.23	-7.51	-19.96	-9.00	-14.93	-8.07	10.56	6.11
	योग प्राथमिक क्षेत्र		**1.38**	**6.46**	**-5.05**	**-3.18**	**7.80**	**4.39**	**1.38**	**2.30**	**-2.01**	**-0.03**	**-7.69**	**2.98**	**0.76**	**2.27**
3	विनिर्माण		11.56	3.72	4.71	9.60	9.48	6.72	-0.57	-1.30	-14.90	-7.32	2.81	11.26	4.81	7.03
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं		7.50	0.90	8.13	8.23	7.06	11.81	6.31	3.58	-5.80	16.05	6.68	6.78	9.08	5.31
5	निर्माण		-3.55	26.77	1.31	-0.22	11.08	5.81	5.51	0.07	-4.21	21.62	36.31	-10.73	9.40	7.27
	योग द्वितीयक क्षेत्र		**8.91**	**6.72**	**4.37**	**7.94**	**9.55**	**6.92**	**0.81**	**-0.73**	**-12.53**	**-0.43**	**10.20**	**5.15**	**6.22**	**6.92**
	औद्योगिक क्षेत्र		**8.55**	**8.34**	**3.04**	**7.32**	**10.15**	**7.54**	**0.63**	**-0.97**	**-12.77**	**-0.68**	**9.52**	**4.87**	**6.30**	**6.90**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		9.02	9.22	12.73	19.57	-0.33	-5.69	0.55	13.25	-7.57	16.57	9.37	7.15	6.96	8.13
6.1	रेलवे		11.72	1.89	19.31	15.83	2.89	-3.43	4.63	19.41	-21.51	-33.68	78.22	11.97	10.88	9.18
6.2	सड़क परिवहन		10.64	5.02	5.80	8.63	11.47	7.22	1.44	10.25	-31.89	40.70	4.47	2.91	4.68	6.77
6.3	भंडारण		8.60	2.92	-13.00	9.83	98.28	-86.84	1022.14	-52.65	-43.78	42.37	-9.29	14.00	12.68	15.17
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		8.16	11.52	15.76	24.30	-4.84	-11.19	-0.29	14.81	5.33	9.97	10.34	8.71	7.71	8.59
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह		9.50	8.63	7.03	11.41	15.58	13.67	11.62	6.67	-27.01	23.64	21.99	4.64	5.60	6.14
8	वित्तीय सेवायें		7.81	9.50	11.08	7.93	1.47	8.57	3.17	4.19	16.61	-9.58	6.66	25.08	7.20	16.14
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें		8.66	-2.24	14.69	2.36	7.73	7.23	7.82	8.67	-1.91	9.58	6.48	3.90	6.69	7.03
10	लोक प्रशासन		-28.88	43.63	19.32	9.83	9.88	18.45	-7.06	-11.73	13.42	11.19	3.43	2.19	12.32	12.22
11	अन्य सेवायें		24.09	17.52	7.06	7.82	11.37	15.46	-0.52	4.50	-6.58	6.37	-0.81	4.81	9.13	7.55
	योग तृतीयक क्षेत्र		**6.89**	**11.01**	**10.70**	**10.61**	**8.85**	**9.51**	**4.55**	**5.65**	**-10.52**	**13.01**	**10.77**	**6.21**	**7.24**	**8.24**
12	**कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन**		**7.17**	**8.13**	**5.34**	**7.61**	**9.10**	**7.63**	**2.29**	**2.05**	**-10.66**	**5.03**	**8.57**	**5.43**	**6.20**	**7.13**
13	उत्पाद कर		11.37	7.24	5.95	9.98	12.60	10.38	5.03	2.93	-18.93	5.31	11.56	7.19	5.33	5.43
14	उत्पाद सब्सिडी		19.71	-10.96	11.17	-7.68	-18.13	4.29	-24.20	21.78	57.88	24.50	-16.10	-23.47	-20.19	-21.27
15	**राज्य सकल घरेलू उत्पाद (12+13-14)**		**7.27**	**8.47**	**5.29**	**8.08**	**9.83**	**7.90**	**2.83**	**1.97**	**-12.10**	**4.71**	**9.35**	**6.05**	**6.44**	**7.23**
16	जनसंख्या ('00)		1.32	1.30	1.27	1.27	1.22	1.19	1.18	1.16	1.15	1.08	1.04	1.03	1.01	1.01
17	प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (रू0 में)		**5.87**	**7.07**	**3.96**	**6.73**	**8.50**	**6.63**	**1.64**	**0.79**	**-13.10**	**3.59**	**8.22**	**4.97**	**5.37**	**6.16**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (%)

परिशिष्ट–7

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**		15.53	1.28	0.92	0.27	3.58	13.97	3.29	18.73	15.60	-3.01	-7.49	2.45	12.96	0.53
1.1	कृषि		18.44	-9.64	-1.11	-5.86	1.29	21.88	-3.30	20.34	7.66	-1.00	-35.16	16.58	3.38	-10.20
1.2	पशुपालन		8.96	11.99	14.21	12.58	8.98	8.98	10.29	6.45	0.53	4.45	6.31	7.01	15.22	5.39
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना		15.45	17.52	-7.74	-1.61	0.82	5.67	7.68	34.22	48.45	-11.85	19.67	-13.11	20.83	5.31
1.4	मत्स्य पालन		7.76	18.74	8.03	7.36	7.06	12.22	10.86	8.87	-4.66	9.84	38.63	29.10	16.99	12.70
2	खनन तथा उत्खनन		4.07	59.19	-21.65	-15.56	25.62	16.67	15.68	-18.16	-25.72	41.24	12.52	0.15	13.50	5.69
	योग प्राथमिक क्षेत्र		**14.23**	**7.25**	**-2.53**	**-1.67**	**5.91**	**14.31**	**4.87**	**13.52**	**11.40**	**-0.01**	**-5.58**	**2.19**	**13.02**	**1.11**
3	विनिर्माण		18.75	7.84	9.42	9.50	11.82	8.51	2.66	-0.90	-14.26	-1.05	-0.75	12.21	-0.42	4.02
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं		1.92	-12.06	13.32	33.83	2.89	20.10	4.19	6.61	-0.52	19.32	-10.39	11.94	19.19	21.56
5	निर्माण		5.46	31.48	4.68	1.15	7.61	9.83	14.29	-0.20	-2.81	37.82	43.66	-11.21	6.85	6.71
	योग द्वितीयक क्षेत्र		**15.49**	**10.58**	**8.69**	**9.00**	**10.66**	**9.27**	**4.65**	**-0.38**	**-11.44**	**7.89**	**9.78**	**4.47**	**2.80**	**6.03**
	औद्योगिक क्षेत्र		**15.14**	**11.93**	**7.48**	**8.29**	**11.00**	**9.46**	**4.95**	**-0.92**	**-11.79**	**8.58**	**9.85**	**4.35**	**3.09**	**6.02**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		20.57	15.38	14.93	20.65	-0.59	-9.17	0.64	14.22	3.48	34.49	15.76	8.91	10.39	10.93
6.1	रेलवे		18.52	-2.95	21.65	26.02	-2.77	-10.60	-13.83	45.73	-17.27	-35.34	61.39	5.36	8.81	261.41
6.2	सड़क परिवहन		19.89	8.98	7.63	9.13	11.91	7.16	4.19	4.60	-22.19	67.80	10.03	4.77	8.17	7.87
6.3	भंडारण		18.35	6.02	-12.54	9.90	101.78	-86.71	1187.92	-50.86	-37.02	53.92	-4.92	15.33	17.16	16.10
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		21.03	19.63	18.67	26.05	-5.81	-17.04	-1.58	20.21	19.18	23.10	18.30	10.96	11.41	9.03
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह		18.23	14.80	10.74	13.14	19.27	18.29	16.49	10.14	-22.42	31.83	29.22	9.28	9.08	15.87
8	वित्तीय सेवायें		9.03	12.20	11.82	11.11	1.04	17.24	11.06	8.97	16.91	-3.14	21.89	27.81	10.08	11.19
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें		13.08	8.54	10.03	3.89	8.30	11.60	9.07	5.08	-0.14	14.06	13.68	8.65	23.52	15.82
10	लोक प्रशासन		-22.53	23.23	28.57	10.96	14.90	24.47	-3.28	-5.92	14.05	12.81	5.14	5.88	14.84	13.77
11	अन्य सेवायें		34.95	23.94	10.49	10.26	14.35	19.55	3.79	7.44	0.31	12.32	3.72	9.11	13.28	11.52
	योग तृतीयक क्षेत्र		**14.49**	**16.02**	**12.95**	**12.38**	**11.60**	**13.78**	**8.67**	**7.93**	**-6.57**	**21.15**	**18.06**	**10.30**	**11.98**	**13.86**
12	**कुल निवल राज्य मूल्य वर्धन**		**14.97**	**11.97**	**8.67**	**8.94**	**10.49**	**11.54**	**6.25**	**4.45**	**-6.75**	**12.30**	**11.58**	**7.00**	**8.32**	**9.47**
13	उत्पाद कर		16.06	14.10	14.31	17.36	7.55	27.04	-15.28	-3.53	-3.99	22.24	17.66	12.55	11.02	14.84
14	उत्पाद सब्सिडी		27.59	-7.17	13.84	-6.73	-17.51	7.96	-21.10	24.97	67.81	33.52	-11.99	-22.57	-17.28	-19.92
15	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद (12+13-14)**		**14.79**	**12.62**	**9.08**	**10.08**	**10.68**	**13.14**	**4.17**	**3.53**	**-7.36**	**12.74**	**12.74**	**8.12**	**8.95**	**10.35**
16	जनसंख्या ('00)		1.32	1.30	1.27	1.27	1.22	1.19	1.18	1.16	1.15	1.08	1.04	1.03	1.01	1.01
17	प्रति व्यक्ति राज्य निवल घरेलू उत्पाद (रू0 में)		**13.30**	**11.18**	**7.71**	**8.70**	**9.34**	**11.81**	**2.96**	**2.34**	**-8.41**	**11.54**	**11.58**	**7.02**	**7.86**	**9.25**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

<u>स्थायी भावों (2011–12) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (%)</u>

परिशिष्ट–8

उत्तराखण्ड

क्र०सं०	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24RE	2024-25PE	2025-26AE
1	**कृषि, वानिकी, एवं मत्स्य**		1.42	-2.25	-1.10	-2.33	4.10	-0.42	2.45	4.37	0.79	0.40	-8.85	3.89	-1.58	0.84
1.1	कृषि		0.11	-8.81	-3.44	-11.69	6.69	-0.19	-2.54	3.20	5.00	1.39	-23.52	5.04	-10.17	-2.98
1.2	पशुपालन		7.35	6.31	1.61	6.89	2.87	2.16	2.32	2.10	-3.31	2.38	2.72	2.73	4.10	2.44
1.3	वानिकी एवं लठ्ठा बनाना		-1.60	4.06	0.74	6.07	1.11	-4.02	11.91	8.95	-1.31	-3.54	2.97	3.41	2.85	3.08
1.4	मत्स्य पालन		2.13	0.97	3.00	3.18	4.47	7.29	8.54	3.34	5.10	14.48	19.32	21.19	18.47	12.89
2	खनन तथा उत्खनन		-10.16	48.64	-9.35	-12.39	35.36	26.84	-4.23	-7.42	-21.61	-10.15	-17.58	-10.47	13.09	8.28
	योग प्राथमिक क्षेत्र		**0.11**	**2.92**	**-2.31**	**-3.70**	**7.97**	**3.81**	**1.18**	**2.25**	**-2.85**	**-0.98**	**-9.89**	**2.33**	**-0.18**	**1.64**
3	विनिर्माण		13.05	4.06	7.23	10.88	10.76	7.25	-0.38	-1.55	-15.96	-8.81	-2.57	12.52	4.87	7.47
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं		7.98	4.71	6.38	3.18	7.39	16.01	4.81	6.30	-11.20	19.89	13.88	13.33	11.37	6.54
5	निर्माण		-4.58	25.18	1.90	-0.43	10.89	2.48	7.51	-1.22	-6.08	22.95	36.18	-10.66	8.79	6.98
	योग द्वितीयक क्षेत्र		**9.71**	**7.27**	**6.25**	**8.56**	**10.61**	**6.95**	**1.08**	**-1.06**	**-14.11**	**-1.53**	**7.03**	**6.23**	**6.34**	**7.27**
	औद्योगिक क्षेत्र		**9.10**	**8.33**	**5.71**	**7.93**	**11.21**	**7.54**	**0.89**	**-1.27**	**-14.35**	**-1.77**	**6.39**	**5.90**	**6.45**	**7.29**
6	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		10.62	8.29	15.87	20.75	-3.08	-10.12	-6.06	11.55	-17.18	22.64	9.71	5.25	4.18	8.43
6.1	रेलवे		14.41	14.35	-5.67	20.06	-12.96	-19.57	-16.45	-21.19	-88.75	262.26	126.75	-5.55	-13.78	608.34
6.2	सड़क परिवहन		10.86	2.86	6.31	8.70	9.85	6.44	-2.63	9.59	-39.13	54.71	5.88	1.51	5.14	7.03
6.3	भंडारण		9.43	0.81	-13.37	9.15	97.75	-86.72	1115.69	-53.11	-45.05	40.37	-10.00	11.56	12.72	14.11
6.4	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें		10.37	11.31	21.77	26.50	-8.21	-17.85	-8.33	13.76	-1.99	9.38	11.31	7.37	3.84	4.60
7	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह		9.52	8.76	6.98	10.27	15.67	14.54	10.68	6.46	-29.14	24.66	22.40	4.37	5.03	5.41
8	वित्तीय सेवायें		7.63	9.62	11.00	7.71	1.30	8.53	2.94	4.12	16.21	-9.66	6.74	25.08	7.06	16.25
9	स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें		8.63	-5.88	17.44	2.01	8.61	8.68	8.36	9.90	-3.19	10.87	7.07	3.71	7.33	7.68
10	लोक प्रशासन		-29.51	12.60	21.37	11.63	10.12	18.11	-6.17	-11.84	13.32	12.35	4.44	1.54	14.52	14.69
11	अन्य सेवायें		24.60	17.55	6.94	7.41	11.06	15.35	-1.39	3.72	-8.49	5.47	-2.15	3.84	8.66	6.92
	योग तृतीयक क्षेत्र		**6.80**	**8.42**	**11.31**	**10.42**	**8.72**	**9.63**	**3.61**	**5.22**	**-13.86**	**14.05**	**11.31**	**5.75**	**6.78**	**8.26**
12	**कुल निवल राज्य मूल्य वर्धन**		**7.33**	**7.08**	**6.90**	**7.78**	**9.63**	**7.61**	**2.03**	**1.66**	**-12.89**	**4.59**	**7.06**	**5.67**	**5.97**	**7.25**
13	उत्पाद कर		11.37	7.24	5.95	9.98	12.60	10.38	5.03	2.93	-18.93	5.31	11.56	7.19	5.33	5.43
14	उत्पाद सब्सिडी		19.71	-10.96	11.17	-7.68	-18.13	4.29	-24.20	21.78	57.88	24.50	-16.10	-23.47	-20.19	-21.27
15	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद (12+13-14)**		**7.42**	**7.53**	**6.73**	**8.31**	**10.40**	**7.92**	**2.66**	**1.60**	**-14.30**	**4.24**	**8.07**	**6.38**	**6.27**	**7.37**
16	जनसंख्या ('00)		1.32	1.30	1.27	1.27	1.22	1.19	1.18	1.16	1.15	1.08	1.04	1.03	1.01	1.01
17	प्रति व्यक्ति राज्य निवल घरेलू उत्पाद (रू0 में)		**6.03**	**6.15**	**5.38**	**6.95**	**9.06**	**6.65**	**1.47**	**0.43**	**-15.27**	**3.13**	**6.96**	**5.30**	**5.21**	**6.30**

RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates,

New Series Estimates, Base Year 2011-12.

राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के संकेतक परिशिष्ट– 09

रु करोड़ में

	2024-25 वास्तविक	2025-26 आय–व्ययक	2025-26 पुनरीक्षित	2026-27 आय–व्ययक	2027-28 प्रक्षेपित	2028-29 प्रक्षेपित	2029-30 प्रक्षेपित
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राज्य का राजस्व लेखा							
1–स्वयं का कर राजस्व	20878.72	24014.81	23680.02	25912.86	29022.40	32505.09	36405.70
2– करेत्तर राजस्व	4181.52	4395.48	5198.48	5707.17	5994.67	6302.30	6631.46
3–स्वयं का राजस्व	25060.24	28410.29	28878.50	31620.03	35017.08	38807.39	43037.16
4– केन्द्रीय करों से राज्यांश	14387.36	15902.92	15573.41	17414.59	19504.34	21844.86	24466.25
5– केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	12025.73	18227.32	18187.52	18491.16	20525.19	22782.96	25289.08
6– कुल केन्द्रीय अन्तरण	26413.09	34130.24	33760.93	35905.75	40029.53	44627.82	49755.33
7– कुल राजस्व प्राप्ति (3+6)	**51473.33**	**62540.53**	**62639.43**	**67525.78**	**75046.60**	**83435.21**	**92792.49**
8– राजस्व व्यय	50015.58	59954.65	60178.38	64989.44	74836.06	82037.41	89895.96
9– वेतन भुगतान	17618.60	20770.04	20298.10	22105.21	26526.25	28913.61	31515.84
10– पेंशन भुगतान	8476.05	9910.40	9865.40	11131.50	13357.80	14693.58	16162.94
11–ब्याज भुगतान	5575.00	6990.14	6625.50	7929.40	9582.20	11373.85	13313.17
12– ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति	10.83%	11.18%	10.58%	11.74%	12.77%	13.63%	14.35%
13– राजस्व व्यय	50015.58	59954.65	60178.38	64989.44	74836.06	82037.41	89895.96
14– वेतन +पेंशन + ब्याज	31669.65	37670.58	36789.00	41166.11	49466.25	54981.04	60991.94
15– राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत (14/7)	61.53%	60.23%	58.73%	60.96%	65.91%	65.90%	65.73%
16– राजस्व बचत/घाटा (7–8)	1457.75	2585.88	2461.05	2536.34	210.54	1397.80	2896.53
17– समेकित राजस्व बचत/घाटा	**1457.75**	**2585.88**	**2461.05**	**2536.34**	**210.54**	**1397.80**	**2896.53**
(ख) समेकित ऋण							
1– अवशेष ऋण एवं दायित्व *	94666.03	106736.33	99631.86	104244.96	114674.26	125103.56	135532.86
2–कुल अवशेष गारन्टी	105.85	105.85	120.66	120.66	120.66	120.66	120.66
(ग) पूँजी लेखा							
1– पूँजीगत परिव्यय	11105.50	14763.13	14883.35	18152.73	18200.00	20930.00	24069.50
2– ऋण एवं अग्रिम	691.00	451.89	543.69	400.41	400.00	400.00	400.00
3–ऋणों की वसूली एवं अन्य पूँजीगत प्राप्ति	36.69	24.21	26.36	27.35	25.00	25.00	25.00
4–अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	10302.06	12604.93	12939.63	15989.45	18364.46	19907.20	21547.97
(घ) राजकोषीय घाटा	**10302.06**	**12604.93**	**12939.63**	**15989.45**	**18364.46**	**19907.20**	**21547.97**
राजकोषीय घाटा (एस.ए.एस.सी.आई हटाते हुए)	**10302.06**	**12604.93**	**10639.63**	**12579.70**	**14743.46**	**16054.10**	**17439.56**
सकल घरेलू राज्य उत्पाद	347981.00	429307.53	381889.00	427715.68	479041.56	536526.55	600909.73
प्रचलित दर पर वृद्धि दर	13.78%	14.00%	9.74%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
*इसमें भविष्य निधि की धनराशि भी सम्मिलित है।							

राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के संकेतक परिशिष्ट–10

सकल राज्य घरेलू के अनुमान

	2024-25 वास्तविक	2025-26 आय–व्ययक	2025-26 पुनरीक्षित	2026-27 आय–व्ययक	2027-28 प्रक्षेपित	2028-29 प्रक्षेपित	2029-30 प्रक्षेपित
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राज्य का राजस्व लेखा							
1–स्वयं का कर राजस्व	6.00%	5.59%	6.20%	6.06%	6.06%	6.06%	6.06%
2– करेत्तर राजस्व	1.20%	1.02%	1.36%	1.33%	1.25%	1.17%	1.10%
3–स्वयं का राजस्व	7.20%	6.62%	7.56%	7.39%	7.31%	7.23%	7.16%
4– केन्द्रीय करों से राज्यांश	4.13%	3.70%	4.08%	4.07%	4.07%	4.07%	4.07%
5– केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	3.46%	4.25%	4.76%	4.32%	4.28%	4.25%	4.21%
6– कुल केन्द्रीय अन्तरण	7.59%	7.95%	8.84%	8.39%	8.36%	8.32%	8.28%
7– कुल राजस्व प्राप्ति	14.79%	14.57%	16.40%	15.79%	15.67%	15.55%	15.44%
8– राजस्व व्यय	14.37%	13.97%	15.76%	15.19%	15.62%	15.29%	14.96%
9– वेतन भुगतान	5.06%	4.84%	5.32%	5.17%	5.54%	5.39%	5.24%
10– पेंशन भुगतान	2.44%	2.31%	2.58%	2.60%	2.79%	2.74%	2.69%
11–ब्याज भुगतान	1.60%	1.63%	1.73%	1.85%	2.00%	2.12%	2.22%
12– राजस्व व्यय	14.37%	13.97%	15.76%	15.19%	15.62%	15.29%	14.96%
13– वेतन +पेंशन + ब्याज	9.10%	8.77%	9.63%	9.62%	10.33%	10.25%	10.15%
14– राजस्व बचत/घाटा	0.42%	0.60%	0.64%	0.59%	0.04%	0.26%	0.48%
15– समेकित राजस्व बचत/घाटा	0.42%	0.60%	0.64%	0.59%	0.04%	0.26%	0.48%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
(ख) समेकित ऋण	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1– अवशेष ऋण एवं दायित्व *	27.20%	24.86%	26.09%	24.37%	23.94%	23.32%	22.55%
2–कुल अवशेष गारन्टी	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
(ग) पूँजी लेखा	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1– पूँजीगत परिव्यय	3.19%	3.44%	3.90%	4.24%	3.80%	3.90%	4.01%
2– ऋण एवं अग्रिम	0.20%	0.11%	0.14%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%
3–ऋणों की वसूली एवं अन्य पूँजीगत प्राप्ति	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
4–अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.96%	2.94%	3.39%	3.74%	3.83%	3.71%	3.59%
(घ) राजकोषीय घाटा	2.96%	2.94%	3.39%	3.74%	3.83%	3.71%	3.59%
राजकोषीय घाटा (एस.ए.एस.सी.आई हटाते हुए)	**2.96%**	**2.94%**	**2.79%**	**2.94%**	**3.08%**	**2.99%**	**2.90%**

*इसमें भविष्य निधि की धनराशि भी सम्मिलित है।

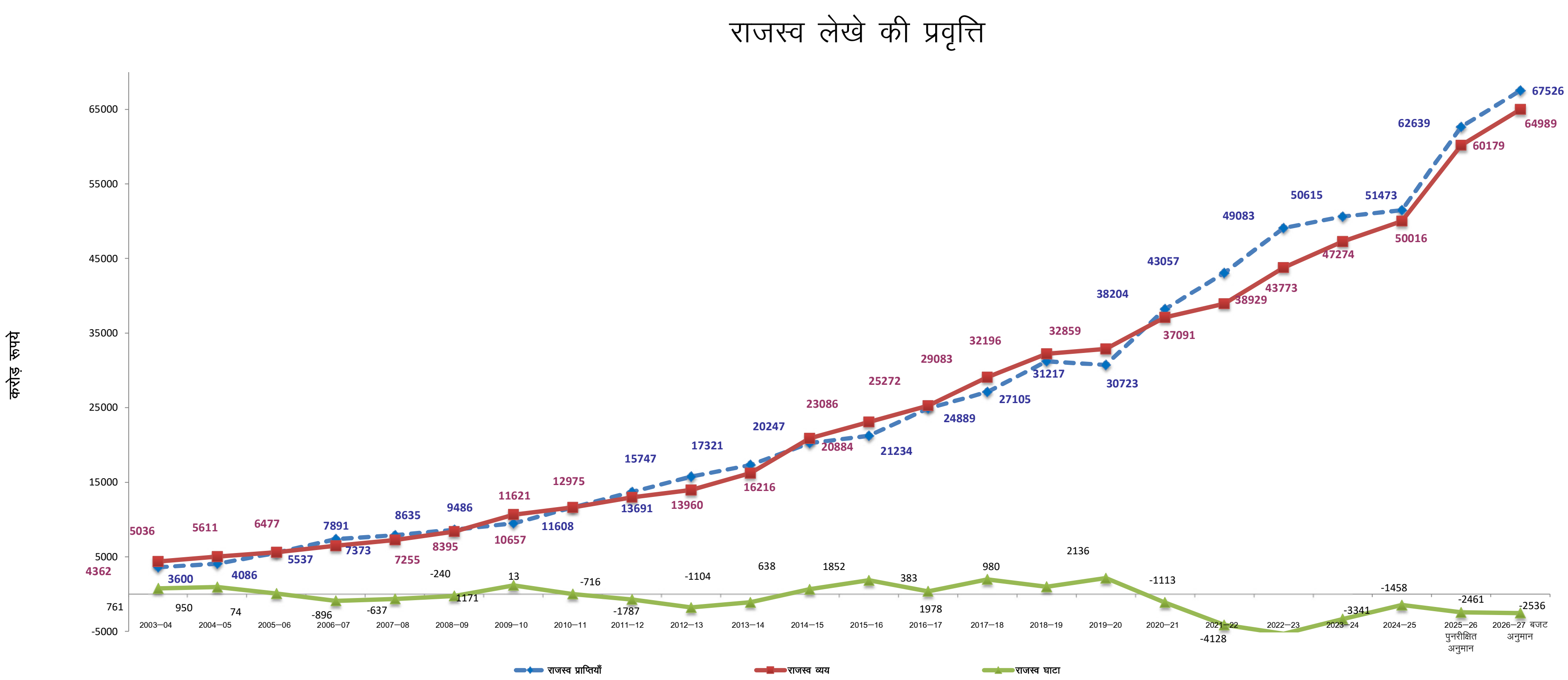

नोटः– ऋणात्मक चिन्ह अधिशेष (सरप्लस) दर्शाता है।

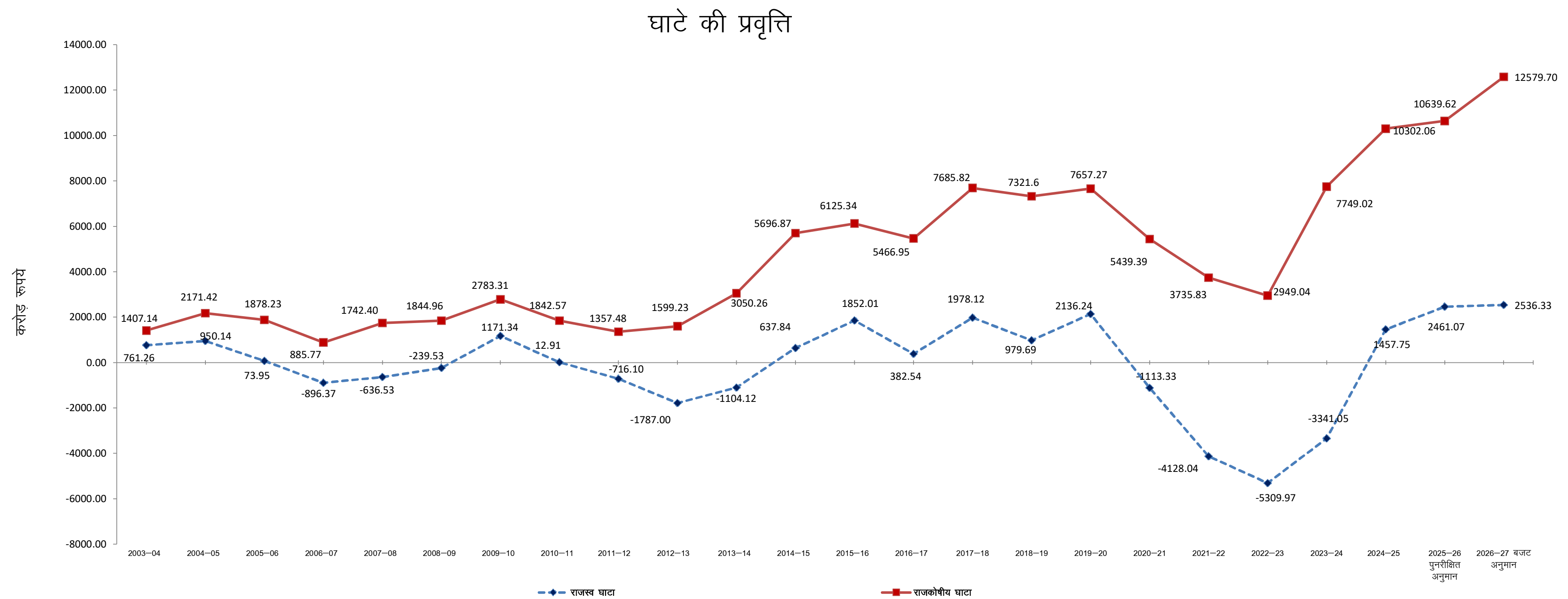

नोटः— ऋणात्मक चिन्ह अधिशेष (सरप्लस) दर्शाता है।